



हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की  
अनुसूचित क्षेत्रों  
बारे  
वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट  
2017–18

जन-जातीय विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2

## अनुक्रमणिका

| <u>अध्याय</u>   | <u>पृष्ठ</u> |
|---|--------------|
| 1 परिचय   | 1-4          |
| 2 प्रशासनिक ढांचा, कार्मिक नीति   | 5-11         |
| 3 संरक्षणात्मक एवं शोषणरोधी उपाय  | 12-13        |
| 4 अनुसूचित क्षेत्रों की विकासात्मक प्रगति   | 14-23        |
| 5 जन-जातीय क्षेत्रों में प्रभावी एवं नियोजित विकास  | 24-28        |
| 6 कानून एवं व्यवस्था स्थिति   | 29-30        |
| 7 विश्वविद्यालयों एवं अन्य उपक्रमों के कार्यकलाप  |              |
| क हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय  | 31-32        |
| ख डा० यशवन्त सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी<br>विश्वविद्यालय, सोलन                           | 32           |
| ग हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम   | 33-34        |
| घ हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड  | 34-35        |
| ड. हिमाचल पथ परिवहन निगम  | 35           |
| च हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति<br>विकास निगम                               | 35-37        |
| 8 विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत प्राप्त राशि की वित्तीय एवं<br>भौतिक उपलब्धियां –(अनुलग्नक-क) | 38           |

## अध्याय-1

### परिचय

भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान की अनुसूची-5 के अनुच्छेद-6 के अन्तर्गत प्रदेश के किन्नौर तथा लाहौल-स्पिति जिलों को सम्पूर्ण रूप से तथा जिला चम्बा के पांगी और भरमौर उपमण्डलों को हिमाचल प्रदेश (आदेश 1975 संवैधानिक आदेश संख्या 102 ) दिनांक 21 नवम्बर 1975 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों को जन-जातीय उप-योजना के अन्तर्गत लाया गया है। इन क्षेत्रों में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 71.16% अनुसूचित जन-जाति, 13.12% अनुसूचित जाति तथा 15.72% अन्य लोग निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में किन्नौरा, बौद्ध, पंगवाला, गद्दी तथा स्वांगला प्रमुख अनुसूचित जन-जाति के लोग निवास करते हैं। इन क्षेत्रों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 23,655 वर्ग किलोमीटर है जोकि प्रदेश के सकल भौगोलिक क्षेत्रफल का 42.49 प्रतिशत भाग है। इन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 1,73,661 है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व समस्त प्रदेश में 123 की तुलना में इन क्षेत्रों में केवल 7 है। 2001-2011 दशक के दौरान जन-जातीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर सम्पूर्ण प्रदेश में 12.94 प्रतिशत के मुकाबले 4.36 प्रतिशत रही। प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र को विकास के लिए 5 एकीकृत जन-जातीय विकास परियोजना क्षेत्रों, नामतः किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर में विभक्त किया गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार इन क्षेत्रों का भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

| जिला/परियोजना क्षेत्र  | क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.    | जनसंख्या         |                |                |                            | प्रति वर्ग कि.मी. घनता | जाति वार जनसंख्या की सकल जनसंख्या से प्रतिशतता |               |              |
|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------|--|---------------|--------------|
|                        |                           | अनुसूचित जन-जाति | अनुसूचित जाति  | अन्य           | योग                        |                        | अनुसूचित जन-जाति                               | अनुसूचित जाति | अन्य         |
| <b>1.किन्नौर</b>       |                           |                  |                |                |                            |                        |  |               |              |
| 1. किन्नौर             | 6401<br>(27.06)           | 48746            | 14750          | 20625          | 84121<br>(48.44)           | 13                     | 57.95  | 17.53         | 24.52        |
| <b>2. लाहौल-स्पिति</b> |                           |                  |                |                |                            |                        |  |               |              |
| 2. लाहौल               | 6250<br>(26.42)           | 15163            | 1699           | 2245           | 19107<br>(11.01)           | 3                      | 79.36  | 8.89          | 11.75        |
| 3. स्पिति              | 7591<br>(32.09)           | 10544            | 536            | 1377           | 12457<br>(7.17)            | 2                      | 84.64  | 4.30          | 11.05        |
| <b>3. चम्बा</b>        |                           |                  |                |                |                            |                        |  |               |              |
| 4. पांगी               | 1595<br>(6.74)            | 17016            | 1246           | 606            | 18868<br>(10.86)           | 12                     | 90.18  | 6.61          | 3.21         |
| 5. भरमौर               | 1818<br>(7.69)            | 32116            | 4560           | 2432           | 39108<br>(22.52)           | 22                     | 82.12  | 11.66         | 6.22         |
| <b>योग:</b>            | <b>23655<br/>(100.00)</b> | <b>123585</b>    | <b>22791</b>   | <b>27285</b>   | <b>173661<br/>(100.00)</b> | <b>7</b>               | <b>71.16</b>                                   | <b>13.12</b>  | <b>15.72</b> |
| <b>हिमाचल प्रदेश</b>   | <b>55673</b>              | <b>392126</b>    | <b>1729252</b> | <b>4743224</b> | <b>6864602</b>             | <b>123</b>             | <b>5.71</b>                                    | <b>25.19</b>  | <b>69.10</b> |

नोट: कोष्ठों में प्रतिशतता दी गई है।

**वर्ष 2011 की जनगणनानुसार इन क्षेत्रों की अनुसूचित जन-जाति एवं अनुसूचित जाति पुरुष  
तथा स्त्री जनसंख्या निम्न प्रकार से है:-**

| जिला/<br>परियोजना क्षेत्र | अनुसूचित जन-जाति<br>जनसंख्या |              |              | अनुसूचित जाति जनसंख्या |              |              | अनुसूचित जन-जाति एवं अनुसूचित<br>जाति की कुल जनसंख्या |              |              | लिंग अनुपात<br>(SC & ST)<br>(000पु0 के<br>प्रति स्त्रियां) |
|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--|
|                           | व्यक्ति                      | पुरुष        | स्त्री       | व्यक्ति                | पुरुष        | स्त्री       | व्यक्ति   | पुरुष        | स्त्री       |  |
| 1. किन्नौर                |                              |              |              |                        |              |              |   |              |              |  |
| 1. किन्नौर                | 48746                        | 23609        | 25137        | 14750                  | 7433         | 7317         | <b>63496</b>  | 31042        | 32454        | 1045   |
| 2. लाहौल-स्पिति           |                              |              |              |                        |              |              |   |              |              |  |
| i) लाहौल                  | 15163                        | 7501         | 7662         | 1699                   | 853          | 846          | <b>16862</b>  | 8354         | 8508         | 1018   |
| ii) स्पिति                | 10544                        | 5247         | 5297         | 536                    | 301          | 235          | <b>11080</b>  | 5548         | 5532         | 997  |
| 3. चम्बा                  |                              |              |              |                        |              |              |   |              |              |  |
| i) पांगी                  | 17016                        | 8539         | 8477         | 1246                   | 614          | 632          | <b>18262</b>  | 9153         | 9109         | 995  |
| ii) भरमौर                 | 32116                        | 16352        | 15764        | 4560                   | 2346         | 2214         | <b>36676</b>  | 18698        | 17978        | 961  |
| <b>योग:-</b>              | <b>123585</b>                | <b>61248</b> | <b>62337</b> | <b>22791</b>           | <b>11547</b> | <b>11244</b> | <b>146376</b>   | <b>72795</b> | <b>73581</b> | 1011   |
| हिमाचल प्रदेश             | 392126                       | 196118       | 196008       | 1729252                | 876300       | 852952       | 2121378   | 1072418      | 1048960      | 978  |

**Note: The figures of H.P. includes the total population of STs residing in Scheduled Areas as well as in non-scheduled areas.**

जन-जातीय क्षेत्रों में कुल जनसंख्या 173661 है जिसमें पुरुष 92525 तथा महिलाएं 81136 हैं जिनका अनुपात 53.28:46.72 है। सकल जनसंख्या बदस्तूर ग्रामीण वर्गीकृत है परन्तु वर्ष 1989-90 में एकीकृत जन-जातीय विकास परियोजना के मुख्यालय, नामतः रिकॉगपिओ, केलॉग, काजा, किलाड़ तथा भरमौर को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 की धारा 66 के अन्तर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है। इसके इलावा वर्ष 2000-01 में ताबो (स्पिति ) तथा उदयपुर (लाहौल ) को भी इस अधिनियम के तहत लाया गया है। जिसके फलस्वरूप ये परियोजना मुख्यालय ग्रामीण तथा शहरी दोनों सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन क्षेत्रों में व्यवसायिक आकृति निम्न प्रकार से है:-

| परियोजना क्षेत्र | मुख्य कर्मी         | सीमान्त कर्मी       | अकर्मी              | सकल जनसंख्या  |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.               | 2.                  | 3.                  | 4.                  | 5.            |
| 1. किन्नौर       | 46782(55.61)        | 9491(11.28)         | 27848(33.10)        | 84121         |
| 2. लाहौल         | 10671(55.85)        | 1512(7.91)          | 6924(36.24)         | 19107         |
| 3. स्पिति        | 4519(36.27)         | 2593(20.82)         | 5345(42.91)         | 12457         |
| 4. पांगी         | 3140(16.64)         | 7713(40.88)         | 8015(42.48)         | 18868         |
| 5. भरमौर         | 7275(18.60)         | 18943(48.44)        | 12890(32.96)        | 39108         |
| <b>योग:-</b>     | <b>72387(41.68)</b> | <b>40252(23.18)</b> | <b>61022(35.14)</b> | <b>173661</b> |
| हिमाचल प्रदेश    | 2062501(30.05)      | 1496921 (20.80)     | 3305180 (48.15)     | 6864602       |

नोट: कोष्ठों में सकल जनसंख्या से प्रतिशतता दी गई है।

| परियोजना क्षेत्र का नाम | मुख्यकर्मि     |               | खेतीहर        |               | खेतीहर मजदूर |              |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                         | पुरुष          | स्त्री        | पुरुष         | स्त्री        | पुरुष        | स्त्री       |
| 1.                      | 2.             | 3.            | 4.            | 5.            | 6.           | 7.           |
| 1. किन्नौर              | 29911          | 16871         | 12912         | 12978         | 1157         | 602          |
| 2. लाहौल                | 5815           | 4856          | 3431          | 4162          | 109          | 42           |
| 3. स्पिति               | 2917           | 1602          | 587           | 697           | 58           | 54           |
| 4. पांगी                | 2374           | 766           | 561           | 288           | 41           | 14           |
| 5. भरमौर                | 5880           | 1395          | 1475          | 567           | 171          | 86           |
| <b>योग:-</b>            | <b>46897</b>   | <b>25490</b>  | <b>18966</b>  | <b>18692</b>  | <b>1536</b>  | <b>798</b>   |
| <b>हिमाचल प्रदेश</b>    | <b>1438989</b> | <b>623512</b> | <b>514927</b> | <b>404859</b> | <b>46235</b> | <b>22433</b> |

### साक्षरता:

शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के विशेष प्रयत्नों से अनुसूचित क्षेत्रों में साक्षरता दर में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1971 की 21.99 प्रतिशत साक्षरता के मुकाबले 2011 में यह दर 77.10 प्रतिशत आंकी गई। पिछले पांच दशकों में साक्षरता की प्रतिशतता क्षेत्रवार इस प्रकार रही है :-

| जनगणना वर्ष | हि0प्र0 | किन्नौर | लाहौल | स्पिति | पांगी | भरमौर | सकल अनुसूचित क्षेत्र |
|-------------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|----------------------|
| 1971        | 31.96   | 27.70   | 30.49 | 23.90  | 12.84 | 10.53 | 21.99                |
| 1981        | 42.48   | 36.84   | 34.29 | 25.10  | 19.58 | 22.50 | 30.73                |
| 1991        | 63.86   | 58.36   | 57.07 | 59.96  | 38.39 | 44.81 | 53.39                |
| 2001        | 76.50   | 75.20   | 72.64 | 74.14  | 60.32 | 62.22 | 70.38                |
| 2011        | 82.80   | 80.00   | 74.97 | 79.76  | 71.02 | 73.85 | 77.10                |

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग वार साक्षरता ब्यौरा इस प्रकार है:-

| परियोजना क्षेत्र     | पुरुष        | महिला        | कुल          |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. किन्नौर           | 87.27        | 70.96        | 80.00        |
| 2. लाहौल             | 84.59        | 64.50        | 74.97        |
| 3. स्पिति            | 87.37        | 70.74        | 79.76        |
| 4. पांगी             | 82.52        | 59.27        | 71.02        |
| 5. भरमौर             | 82.55        | 64.67        | 73.85        |
| <b>योग:-</b>         | <b>85.50</b> | <b>67.41</b> | <b>77.10</b> |
| <b>हिमाचल प्रदेश</b> | <b>89.53</b> | <b>75.93</b> | <b>82.80</b> |

## अनुसूचित जन-जाति वर्ग:-

राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत प्राख्यापित अनुसूचित जन-जाति आदेश संशोधन अधिनियम, 1976 तथा राष्ट्रपति के आदेश अधिसूचना Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act., 2002 No. 10 of 2003 के अधीन राज्य में निम्न जातियां अनुसूचित जन-जाति घोषित की गई हैं:-

1. भोट, बौद्ध,
2. गद्दी,
3. गुज्जर,
4. जाड, लाम्बा, खाम्पा,
5. किन्नौरा, किन्नौरा,
6. लाहुला,
7. पंगवाला,
8. स्वांगला,
9. बेटा, बेडा, तथा
10. डेम्बा, गारा, जोबा ।

## अध्याय-2

### प्रशासनिक ढांचा तथा कार्मिक नीति

#### प्रशासनिक ढांचा:

प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र सुपरिभाषित प्रशासनिक इकाइयां हैं। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र को 5 एकीकृत जन-जातीय विकास परियोजना क्रमशः किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर में विभाजित किया गया है। जिला किन्नौर एवं एकीकृत जन-जातीय विकास परियोजना किन्नौर में कल्या, पूह व निचार विकास खण्ड पड़ते हैं तथा शेष परियोजना क्षेत्र उसी नाम के विकास खण्ड के समरूप हैं।

वर्ष 1986 से पूर्व अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचा एक समान था परन्तु अप्रैल 1986 में परियोजना क्षेत्र पांगी में इकहरी प्रशासनिक प्रणाली का सूत्रपात करते हुए वहां आवासीय आयुक्त की नियुक्ति की गई तथा वहां स्थित सभी कार्यालयों का विलय आवासीय आयुक्त पांगी के कार्यालय में किया गया और उन्हें प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गईं ताकि वे परियोजना क्षेत्र में उच्चतम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकें। इस प्रकार राज्य तथा परियोजना स्तर के बीच इकहरी प्रशासनिक प्रणाली स्थापित हुई। यह प्रयोग अत्यन्त सफल रहा और अन्य परियोजना क्षेत्रों से ऐसी पद्धति लागू करने की मांगोपरान्त 15 अप्रैल, 1988 से अन्य क्षेत्रों में भी लागू की गई। जिला किन्नौर में इकहरी प्रशासनिक प्रणाली 19.7.1996 से समाप्त कर दी गई थी जिसे वर्ष 1998 में पुनः बहाल कर दिया गया है। नए प्रशासनिक ढांचे के अन्तर्गत विभिन्न परियोजना क्षेत्रों में विशिष्ट प्राधिकारी इस प्रकार हैं:-

#### परियोजना क्षेत्र

1. पांगी
2. किन्नौर
3. लाहौल
4. स्पिति
5. भरमौर

#### विशिष्ट प्राधिकारी

- आवासीय आयुक्त पांगी स्थित किलाड़  
उपायुक्त किन्नौर स्थित रिकांगपिओ  
उपायुक्त, लाहौल-स्पिति स्थित केलांग  
अतिरिक्त उपायुक्त, स्पिति स्थित काजा  
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भरमौर

संक्षेप में उपरोक्त विशिष्ट प्राधिकारियों के कृत्य एवं शक्तियां इस प्रकार हैं:-

1. राजस्व मामलों में उन्हें आयुक्त की शक्तियां प्राप्त हैं।
2. परियोजना क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों का उनके कार्यालय में विलय किया गया है और वे उन्हीं के कार्यालय के अभिन्न अंग समझे जाते हैं, भले ही उनका अलग कैडर हो।
3. परियोजना क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा उपरोक्त प्रशासनिक अधिकारियों से कोई पत्राचार नहीं होगा तथा सभी कार्यालय अपनी नस्तियां उन्हें उनके आदेशार्थ प्रस्तुत करेंगे।
4. क्योंकि उपरोक्त प्रशासनिक अधिकारियों को विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्राप्त हैं, अतः उन द्वारा सूत्रपातित/पुनर्वलोकित राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से न भेजकर सीधे सम्बन्धित विभागीय प्रशासनिक सचिव को, भेजी जाएंगी और इन्हें विभागाध्यक्ष के माध्यम से

नहीं भेजा जाएगा। अराजपत्रित कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट के सम्बन्ध में वे अन्तिम प्रतिग्रहण अधिकारी होंगे। अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग के लिए वे अनुशासनिक प्राधिकारी घोषित किए गए हैं तथा राजपत्रित कर्मचारियों को वे लघु दण्ड देने के लिए सक्षम होंगे।

- 5 सम्बन्धित परियोजना क्षेत्र में सभी विभागों के विभागीय कार्य/कार्यक्रम/स्कीमों के कार्यान्वयन सम्बन्धी विभागाध्यक्षों को प्राप्त प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का वे प्रयोग करेंगे। विभागाध्यक्षों की क्षमता से ऐसे मामलों में जहां कोई बाहर के मामले हो, सीधे आयुक्त (जन-जातीय विकास) को भेजे जाएंगे।

### परियोजना सलाहकार समिति:

प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के लिए अलग परियोजना सलाहकार समिति गठित है। इस समिति के अध्यक्ष स्थानीय विधायक हैं तथा जन-जातीय सलाहकार परिषद के स्थानीय सदस्य तथा परियोजना स्तरीय विभागीय अधिकारी इसके सदस्य हैं। आवासीय आयुक्त/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जैसा भी प्रयुक्त हो, इस समिति के उपाध्यक्ष तथा सम्बन्धित परियोजना अधिकारी इसके सदस्य सचिव हैं इस के अलावा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रत्येक परियोजना क्षेत्र से क्रमशः 2 सदस्य, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष /निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों में से, 2 सदस्य अध्यक्ष/उपाध्यक्ष / निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों में से तथा 2 पंचायत प्रधान शामिल किये गये हैं। इन क्षेत्रों के सांसद भी इस बैठक में विशेष सदस्य के रूप में आमन्त्रित किये जाते हैं।

यह समिति जन-जातीय उप-योजना के प्रारूपीकरण, कार्यान्वयन एवं समीक्षा करती है तथा नाभिक बजट के अन्तर्गत उपलब्ध राशि का आवंटन एवं अनुमोदन भी प्रदान करती है।

### जन-जातीय सलाहकार परिषद:

संविधान के अनुच्छेद 244 (1) तथा अनुसूची-5 के भाग-बी के पैरा-4 के अन्तर्गत प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण एवं उत्थान सम्बन्धी मामलों में सलाह देने हेतु 13.12.1977 से हि0प्र0 जन-जातीय सलाहकार परिषद गठित है। इस परिषद की प्रथम बैठक 24.6.1978 को हुई थी। पहली बैठक से अब तक इसकी 46 बैठकें हो चुकी हैं अन्तिम बैठक दिनांक 19-09-2017 को सम्पन्न हुई। इस परिषद के अध्यक्ष मुख्य मन्त्री हैं। अध्यक्ष सहित परिषद के कुल बाईस (22) सदस्य हैं। यह परिषद केवल परामर्शदात्री ही नहीं बल्कि इसकी सिफारिशें आम तौर पर सरकार द्वारा मान ली जाती हैं या स्वयं परिषद द्वारा ही विचार विमर्श उपरान्त छोड़ दी जाती हैं। मामलों पर परामर्श देने के अतिरिक्त यह जन-जातीय उप-योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करती है।



## वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण:

प्रधान सचिव (जनजातीय विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या टीबीडी (ए) 4-5/91-।। दिनांक 2 जून, 2010 तथा दिनांक 25 जून, 2010 द्वारा पूर्व में प्रदत्त विशेष वित्तीय शक्तियों की समीक्षा व पुननिर्धारण किया गया है जो कि निम्न प्रकार से उद्धृत है :-

- i) The Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti, Resident Commissioner, Pangti at Killar, Additional Deputy Commissioner, Kaza and Additional District Magistrate, Bharmour will exercise the powers of Head of Department with respect to all State Government Departments located in their respective areas in all administrative and financial matters, including grant of administrative approval and expenditure sanction.
- ii) All the District officers posted in the jurisdiction/office of the Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti, Resident Commissioner, Pangti, Additional Deputy Commissioner, Kaza and Additional District Magistrate, Bharmour will exercise technical powers to the extent of one step higher in their respective ladder.
- iii) With respect to HPPWD and IPH, respective Executive Engineers will now exercise powers of technical sanction one step higher as delegated vide Notification No. Fin(C)-A(3)25/75, dated 30.07.1996. While exercising technical sanction powers by the Executive Engineers, copies of technical sanction orders will be endorsed to concerned Superintending Engineers for their scrutiny.
- iv) Superintending Engineers of HPPWD and IPH will exercise one step up power with respect to Technical matters only i.e. that of Chief Engineer, as delegated in "Item No. 2 Technical Sanction" of the notification of Finance Department mentioned in clause (iii) above with respect to Projects in Tribal Areas. They will also scrutinize technical sanctions accorded by respective Executive Engineers, particularly with respect to the sanction under enhanced powers delegated to Executive Engineers as per clause (iii) above.
- v) Superintending Engineer and Conservator of Forests shall carry out supervision and inspections of offices/works as per the norms applicable for non-tribal areas. Since the Divisional Officers are under the administrative control of the Deputy Commissioner and Additional District Magistrate will facilitate such supervision/inspections by effective co-ordination.
- vi) The Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti, Resident Commissioner, Pangti at Killar, Additional Deputy Commissioner, Spiti at Kaza and Additional District Magistrate, Bharmour will initiate ACRs of all Gazetted Officers working in their respective areas and send the same to Heads of Departments concerned for review, who will further process the same in accordance with the Government orders for getting the same finally accepted. While doing so, the Deputy Commissioner, Resident Commissioner, Additional Deputy Commissioner and Additional District Magistrate will obtain the comments, particularly with respect to technical matters, on the performance of concerned Executive Engineers of PWD and IPH and DFOs from the concerned S.Es./Conservators of Forests on the self-appraisal report and the comments of the concerned S.E./C.F. will form part of the ACR. ACRs of Non-

Gazetted employees will finally be accepted by the Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti, Resident Commissioner, Pangi at Killar, Additional Deputy Commissioner, Spiti at Kaza and Additional District Magistrate, Bharmour.

- vii) There will be no correspondence between Heads of offices and Deputy Commissioner, Resident Commissioner, Additional Deputy Commissioner and Additional District Magistrate and all the Heads of Offices shall put up their files direct to the Deputy Commissioner, Resident Commissioner, Additional Deputy Commissioner, and Additional District Magistrate.
- viii) The Deputy Commissioner, Resident Commissioner, Additional Deputy Commissioner and Additional District Magistrate will co-ordinate with respective Heads of Departments at the State level to take advantage of their experience and resources and ensure their active participation in effective administration. Head of Departments will also carry out inspection/undertake visits to their respective areas at par with other Departments of the State.
- ix) The Deputy Commissioner, Resident Commissioner, Additional Deputy Commissioner and Additional District Magistrate will exercise the powers of Commissioner with respect to administrative matters of Revenue Department. However, with respect to court and appellate matters, the powers of Commissioner will rest with the Divisional Commissioner.

### कार्मिक नीति:

#### स्थानान्तरण नीति

स्थानान्तरण नीति के अधीन सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र को दूरस्थ क्षेत्र घोषित किया हुआ है। इस क्षेत्र में अधिकारी/कर्मचारी की सेवा अवधि तीन वर्ष (दो शीतकाल तथा तीन ग्रीष्मकाल) निर्धारित की हुई है। कार्यकाल समाप्ति उपरान्त अधिकारी/कर्मचारी को अपनी पसन्द के पांच स्थानों में से किसी एक में समायोजित करने का प्रयत्न किया जाता है। इन क्षेत्रों में सेवा के लिए पृथक सब-काडर बनाया गया है जिसके अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पर अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति इन क्षेत्रों में चार वर्ष के लिए अपेक्षित है; साथ ही उन कर्मचारियों, अधिकारियों की तैनाती की जानी अपेक्षित होती है जिन्होंने पहले इन क्षेत्रों में सेवा नहीं की है।

इन क्षेत्रों में कार्यकाल के उपरान्त स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी को नए स्थान पर बिना बारी आवास आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या : जीएडी-डी-7 (जी)1-12181-तीन दिनांक 20 जनवरी, 2015 के अनुसार जो अधिकारी/कर्मचारी जनजातीय क्षेत्र को स्थानान्तरित हों और यदि पिछले स्थान पर उनके पास सरकारी आवास प्राप्त हो तो वह अपने पिछले स्थान पर साधारण किराया पर लिखित प्रार्थना के उपरान्त ऐसा आवास रख सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में निर्धारित कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत गृह निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि आरक्षित की गई है।

- (1) अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को अधोलिखित अतिरिक्त सुविधाएं भी प्राप्त हैं:-

लाहौल—स्पिति, किन्नौर, भरमौर तथा पांगी में नियुक्त कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का निश्चित अवधि के लिए अग्रिम भुगतान किया जाता है जैसे कि लाहौल में छः मास का दो बार स्पिति में नौ मास का तथा तीन मास का, किन्नौर में चार मास का अक्टूबर मास में, पांगी में छः मास का दो बार तथा भरमौर में चार मास का नवम्बर मास में। ऐसा हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम खण्ड—1, 1971 के नियम 10.26 के अधीन किया जाता है।

(2.) बढ़ी हुई दरों पर प्रतिपूरक भत्ता जो कि वर्तमान में 11.6.1999 से प्रचालित है।

### ग्रुप सहित क्षेत्र

ग्रुप—1 चम्बा जिला की पांगी तहसील : 670/—रु0 प्रति मास नियत  
ग्रुप—2 (क) सम्पूर्ण जिला लाहौल—स्पिति : 620/— रु0 प्रति मास नियत

(ख) चम्बा जिला की भरमौर तहसील की निम्न पंचायतें:—

1. कुगती, 2. देयोल, 3. बजौल, 4. नयागांव, 5. तुन्दाह तथा 6. बड़गांव यथोपरि

(ग) तहसील भरमौर की ग्राम पंचायत जगत का ग्राम घाटू : यथोपरि

(घ) तहसील भरमौर की ग्राम पंचायत चनौता का ग्राम कनारसी : यथोपरि

(ङ) जिला किन्नौर की निम्न पंचायतें:—

1. कुन्नू—चारंग, 2. हांगों, 3. आसरंग, 4. छितकुल, 5. किन्नौर का 15/20 क्षेत्र, यानि की ग्राम पंचायतें रूपी, छोटा खम्बा तथा नाथपा : यथोपरि

ग्रुप—3 किन्नौर जिला के उप मण्डल पूह का शेष क्षेत्र : 520/— रु0 प्रतिमाह नियत।

ग्रुप—4 (क) किन्नौर जिला का शेष क्षेत्र : 420/—रु0 प्रति मास नियत।

(ख) तहसील भरमौर (जिला चम्बा) का शेष क्षेत्र : यथोपरि।

अनुसूचित क्षेत्र को मंहगा व दूरस्त वर्गीकृत किया गया है तथा यात्रा भत्ता के अन्तर्गत ठहराव के लिए वहां बढी हुई दरों पर दैनिक भत्ता दिया जाता है।

### महेश्वर प्रसाद कमेटी रिपोर्ट का पालन:

प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में परियोजना कार्यालय स्थापित है। सभी स्तरों पर वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का उदारतया विकेन्द्रीकरण किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों को बढे हुए दर पर अनुपूरक भत्ता तथा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्रदान किया जाता है।

राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/स्थानान्तरण सम्बन्धी निश्चित नीति बना रखी है। समिति के निष्कर्षों पर राज्य सरकार ने गम्भीरतापूर्वक मनन किया है और निम्न कार्यवाही की गई :-

- 1) परियोजना स्तर पर योजना क्रियान्वयन अधिकारियों को एक पद उपर की वित्तीय/तकनीकी/प्रशासकीय शक्तियां प्रदान की गई है ;
- 2) छुट्टी पर जाते और लौटते समय विशिष्ट पारगमन स्थानों तक विशेष पारगमन छुट्टी का दिया जाना। यह सुविधा वर्ष में केवल एक बार तथा समान रूप से सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार से उपलब्ध है:—

1. पांगी में वर्ष में 8 दिन

|                |  |
|----------------|--|
| 2. भरमौर में   | 15 दिसम्बर से 31 मार्च तक 4 दिन                    |
| 3. लाहौल में   | 15 दिसम्बर से 15 जून तक 3 दिन                      |
| 4. स्पिति में  | 15 दिसम्बर से 30 अप्रैल तक 4 दिन अन्यथा केवल 3 दिन |
| 5. किन्नौर में | शुन्य  |

3. गैर स्थानीय तथा गैर स्थानीय केडर के कर्मचारियों को अधिक ठहराव भत्ता निम्न दरों पर दिया जाता है :

|                          |  |
|--------------------------|--|
| चौथे वर्ष                | मूल वेतन का 10 प्रतिशत (न्यूनतम सीमा 50 रू0)       |
| पांचवे वर्ष              | मूल वेतन का 17.5 प्रतिशत यथोपरि                    |
| छठे वर्ष                 | मूल वेतन का 25 प्रतिशत यथोपरि                      |
| सातवें वर्ष तथा उसके बाद | मूल वेतन का 35 प्रतिशत अधिकतम 500/- रूपये प्रतिमाह |

- 4) आयुक्त-एवं सचिव ( जन-जातीय विकास ) द्वारा आवासीय आयुक्त/उपायुक्तों/अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इन्द्राज करना। जन-जातीय क्षेत्रों में तैनात वन मण्डलाधिकारियों, उप वन अरण्यपालों तथा अधिशासी अभियन्ताओं की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट आवासीय आयुक्त/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लिखा जाना।
- 5) जन-जातीय क्षेत्रों में तैनात वन मण्डलाधिकारियों/उप वन अरण्यपालों/अधिशासी अभियन्ताओं को 15 दिन तक अर्जित अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां आवासीय आयुक्त/उपायुक्तों/ अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्राप्त हैं। ऐसा निर्णय राज्य सरकार द्वारा इकहरी प्रशासनिक प्रणाली को और सुदृढ़ करने हेतु लिया गया है।
- 6) उप-योजना/परियोजना क्षेत्र का मूल्यांकन तथा
- 7) अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण।

### हैलिकॉप्टर सेवा:

जनजातीय क्षेत्रों के स्थानीय लोगों तथा कर्मचारियों की सुविधा के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने स्तिंगरी, उदयपुर, तथा किलाड़ के लिए सप्ताह में एक उड़ान तथा रावा, अजोग, तिन्दी, बारिंग, साच, धरवास, तान्दी(डाईट), चोखंग, गोंदला, टिंगरिट, जिस्पा, सीसू, काजा व सगनम के लिए पाक्षिक उड़ान भरने का निर्णय लिया है। इसके इलावा शेष जन-जातीय क्षेत्रों के दूर-दराज इलाकों में रह रहे स्थानीय लोगों व सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए भी सड़क परिवहन सुविधा में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बाधा आने पर तथा मांग अनुसार शिमला से कल्पा, सांगला, पूह, लिओ, नाको, ज्ञाबूंग, समदो, ताबो, काजा, लोसर, भरमौर, इत्यादि स्थानों के लिए भी शीतकालीन हैलिकॉप्टर उड़ानें उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रदेश सरकार

द्वारा दिसम्बर, 2017 से अप्रैल, 2018 तक इन क्षेत्रों के लिए 182 हैलिकॉप्टर उड़ानें (To & Fro) करवाई गईं जिसके द्वारा लगभग 3043 लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया ।

इससे स्पष्ट होता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का व्यापक विकेन्द्रीकरण किया गया है और कार्मिक नीति का ध्येय वहां नियुक्त कर्मचारियों के कल्याण में बढ़ोतरी और इस क्षेत्र में सहर्ष नियुक्ति को बढ़ावा देना है ।

### **योजना परिव्यय आबंटन मानक**

वर्ष 1996-97 से हिमाचल प्रदेश में जन-जातीय उप-योजना के अन्तर्गत राज्य योजना विभाग कुल योजना आकार का 9 प्रतिशत भाग सीधे जन-जातीय विकास विभाग को आवंटित करता है । जन-जातीय विकास विभाग अपने स्तर पर विभाज्य परिव्यय को परियोजना क्षेत्रों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप क्रमशः 30 प्रतिशत किन्नौर, 18 प्रतिशत लाहौल, 16 प्रतिशत स्पिति, 17 प्रतिशत पांगी तथा 19 प्रतिशत भरमौर परियोजना क्षेत्र को आवंटित करके परियोजना क्षेत्र के लिए वार्षिक उप-योजना प्रारूपीकरण हेतु निर्देशन जारी करता है तथा परियोजना सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य स्तर पर जन-जातीय उप-योजना तैयार की जाती है । इस पद्धति के अनुसार उप-योजना प्रणाली अपनाते से जहां एक तरफ स्थानीय आवश्यकता मूलक योजना बनती है वहीं दूसरी ओर वर्ष के दौरान अनावश्यक विचलन की आवश्यकता नहीं रहती है ।

संरक्षात्मक एवं शोषणरोधी उपाय

अनुसूचित जन-जाति समुदाय को हर प्रकार के शोषण से बचाना उप-योजना प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है क्योंकि अप्राधिकृत विकास संरक्षात्मक उपाय के अभाव में शोषणकर्ताओं को ही बढ़ावा देता है। संविधान के अनुच्छेद 46 के अधीन भी राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि शोषण के निवारण और इससे जूझने के लिए अधिनियम बनाए जाएं और मौजूदा अधिनियमों में संशोधन करके उन्हें और कड़ा बनाया जाए।

भूमि हस्तांतरण प्रतिरोधक नियम :

प्रदेश में निवास कर रही अनुसूचित जन-जातियों की अर्थ-व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। अतः भूमि उनका मुख्य साधन है और वे इससे वंचित न हो इसलिए उनका संरक्षण आवश्यक है।

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 की धारा-3 (I) को संशोधित करके इसे और सुदृढ़ बनाया गया है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 14 जनवरी, 2003 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस संशोधन के अनुसार अब कोई भी अनुसूचित जन-जाति व्यक्ति अपनी भूमि किसी गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के नाम न ही विक्रय द्वारा, रहन द्वारा, पट्टे पर, हिब्बा द्वारा और किसी भी प्रकार से ज़मीन तब तक हस्तान्तरित नहीं कर सकता है जब तक कि उसने ऐसा करने के लिए हि0प्र0 सरकार की पूर्व लिखित अनुज्ञा प्राप्त न की हो। राज्य सरकार ऐसी अनुज्ञा देने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम सभा या पंचायतों से समुचित स्तर पर परामर्श करेगी।

रहनकर्ता के पक्ष में हिमाचल प्रदेश रैस्टीच्यूशन ऑफ मोरटगेजड लैण्ड एलीनीयेशन ऑर एडोपशन अण्डर कस्टम एक्ट, 1976 के अन्तर्गत संरक्षण दिया गया है जिसके अन्तर्गत ऐसे हस्तान्तरण को चुनौती देने पर रोक लगाई गई है। इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जद्दी जायदाद के हस्तांतरण या ऐसी जायदाद का वारिस नियुक्त करने पर आपत्ति नहीं उठा सकता है जब तक कि वह लक्कड़दादा से सीधे पुरुष वर्ग में वंशज न हो। आगे धारा 5 के तहत गैर-जद्दी जायदाद के बारे में हस्तान्तरण अथवा वारिस की नियुक्ति को रिवाज के खिलाफ चुनौती देने का किसी को भी हक नहीं दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सीलिंग और लैण्ड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 के अन्तर्गत भी जन-जातीय क्षेत्रों के साथ लिहाज किया गया है। इस अधिनियम की धारा 4 (I)सी के अन्तर्गत अनुमत क्षेत्र की सीमा जन-जातीय क्षेत्रों के लिए 70 एकड़ है। फालतू ज़मीन के आवंटन में भी भूमिहीनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को प्राथमिकता दी जाती है।

सहकारी तथा ऋण राहत:

राज्य में साहुकारी को हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन ऑफ मनीलैंडर्ज एक्ट, 1976 के अन्तर्गत व्यवस्थित किया गया है जिसके अधीन प्रत्येक साहुकार को पंजीकृत होना अनिवार्य है और उस द्वारा साहुकारी करने के लिए लाईसेंस लेना भी आवश्यक है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे अपना ऋण बसूल करने के लिए किसी प्रकार का मुकदमा अथवा आवेदन नहीं कर सकते हैं।

असामान्य सूदखोरी हिमाचल प्रदेश डेट रिडक्शन एक्ट, 1976 के अन्तर्गत नियन्त्रित ऋण में सूद की दर 6 प्रतिशत से अधिक वार्षिक नहीं हो सकती और असुरक्षित ऋण में यह सीमा 12 प्रतिशत वार्षिक है।

हिमाचल प्रदेश रिलीफ एग्रीकल्चरल इनडेंटिडनेस एक्ट, 1976 के अधीन भी कुछ श्रेणियों के किसानों/भूमिहीन कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को ऋण में राहत दी गई है।

### **बन्धुआ मजदूरी:**

अनुसूचित क्षेत्र में बन्धुआ मजदूरी की प्रथा विद्यमान नहीं है फिर भी हिमाचल प्रदेश रिलीफ एग्रीकल्चरल इनडेंटिडनेस एक्ट, 1976 की धारा 4 के अन्तर्गत हर प्रकार की बन्धुआ मजदूरी गैर-कानूनी घोषित की गई है। इस सम्बन्ध में कोई रीति रिवाज अथवा समझौता अब मान्य नहीं होगा।

### **काश्तकार एवं भू-सुधार अधिनियम:**

हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफार्मज़ एक्ट, 1972 के अन्तर्गत सभी प्रकार की पट्टेदार, किन्ही कानूनी मजबूरियों को छोड़कर समाप्त कर दी गई है और ऐसा पट्टेदार अपने आप मालिक करार दे दिया जाता है। बटाईदारी की प्रथा इन क्षेत्रों में विद्यमान नहीं है।

### **आबकारी नीति:**

अनुसूचित क्षेत्र अल्पाईन क्षेत्र में स्थित है जहां शीतकाल दीर्घकालीन होता है और जलवायु असहनीय है। मनोरजन के साधन सीमित हैं। मनोरम पेय के अतिरिक्त युग-युगान्तर से शराब उनके सामाजिक ढांचे का अभिन्न अंग है। राज्यीय आवकारी नीति के अधीन जन-जातीय क्षेत्रों को छूट दी गई है और वर्ष 1992-93 से आवकारी नीति निम्न प्रकार से है:-

- 1) घरेलू प्रयोग के लिए, खास मौकों पर प्रयोग के लिए देसी खमीरी शराब बनाने के लिए एल-20-डी लाईसेंस जारी किए जाते हैं। ये लाईसेंस 5 रुपये वार्षिक फीस पर दिए जाते हैं। ऐसी शराब की एक वक्त में 750 मि.लि. की अधिकतम 24 बोतलें घर में रखी जा सकती हैं। ये लाईसेंस कोलैक्टर अथवा आवकारी/राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं।
- 2) फल अथवा अनाज की घरेलू प्रयोग के लिए देसी शराब कशीद करने के लिए एल-20-सीसी लाईसेंस जारी किए जाते हैं। ये लाईसेंस भरमौर के सिवाए अन्य सभी जन-जातीय क्षेत्रों को जारी किए जाते हैं जिनकी सालाना फीस 25/- रुपये है परन्तु पांगी क्षेत्र में ये लाईसेंस निशुल्क जारी किए जाते हैं। ऐसी शराब की भी अधिकतम 24 बोतलें ही एक समय में रखी जा सकती हैं। ये लाईसेंस कोलैक्टर द्वारा जारी किए जाते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त अति सीमित मात्रा में आम ठेकों की भी मंजूरी दी गई है: ऐसा इस लिए किया गया है क्योंकि जन-जातियों के अतिरिक्त 15 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित क्षेत्र में अन्य वर्ग से सम्बन्ध रखती है जिन्हें शराब निकालने की मनाही है। देसी व विदेशी पर्यटकों की सुविधार्थ भी ऐसा करना अपेक्षित है। अनुसूचित क्षेत्र के पक्ष में नशाबन्दी में ढील दी गई है परन्तु इस कारण जन-जातियों का कोई शोषण नहीं हो रहा है जैसा कि स्थिति अन्यत्र हो सकती है। जनहित में इस संदर्भ में स्थिति पर दृष्टि रखी जा रही है।

अनुसूचित क्षेत्रों की विकासात्मक प्रगति

संविधान के प्रावधान में ही सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का अश्वासन दिया गया है। जबकि अनुच्छेद-31(I) में राज्य की सभी श्रेणियों के कल्याण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। अनुसूचित जन-जाति समुदाय अपने आप में एक श्रेणी होने के नाते अनुच्छेद-46 ऐसे समुदाय के लिए आर्थिक संरक्षण हेतु विशेष वार्ताओं की सिफारिश करता है। इस संदर्भ में प्रथमतः प्रयास 1955 में विशेष बहुउद्देशीय जन-जातीय विकास खण्डों के रूप में किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जन-जातीय विकास खण्डों का सूत्रपात किया गया जो उपरोक्त वर्णित प्रणाली का संशोधित रूप था। इस कार्यक्रम को तीसरी पंच-वर्षीय योजना में विस्तृत किया गया। इसके अन्तर्गत ऐसे सामुदायिक विकास खण्ड भी लाए गए जहां अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या 2/3 या इससे अधिक थी। चौथी पंच-वर्षीय योजनावधि में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जन-जाति बहुलता वाले क्षेत्र ऐसी पद्धति के अन्तर्गत लाने का ध्येय था परन्तु ऐसा नहीं किया जा सका। इस दिशा में सकल प्रयास का मूल्यांकन समय-समय पर गठित अध्ययन दलों द्वारा किया गया तथा जिनके परिणामों से ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि इन जन-जातियों को सामान्य प्रयासों के अन्तर्गत अपेक्षित लाभ नहीं पहुंचा पाए हैं और ये जातियां पूर्ववत् सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी बनी हुई हैं जिसका मुख्य कारण ऐतिहासिक व इन श्रेणियों का अन्य जातियों के समरूप लाभ उठा पाने में असमर्थता है। ऐसी असमानता को दूर करने के लिए आयोजित प्रयास की आवश्यकता थी तथा जन-जातीय क्षेत्रों के तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु जन-जातीय उप-योजना प्रणाली का सूत्रपात किया गया। इस नीति के मुख्य पहलू निम्न प्रकार थे।

- क) राज्यों में ऐसे सामुदायिक विकास खण्डों को चिह्नंकित करना जहां अनुसूचित जन-जाति जनसंख्या की बहुलता थी तथा इनको एकीकृत जन-जातीय विकास परियोजना क्षेत्रों में गठित करना ताकि वहां क्षेत्र पर आधारित समन्वित विकास गतिविधियां अपनाई जा सकें।
- ख) जन-जातीय उप-योजना के लिए राज्य एवं केन्द्रीय योजनाओं एवं वित्तीय संस्थानों से प्रावधान आरक्षित करना : तथा
- ग) जन-जातीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा तथा उपयुक्त कार्मिक नीति का सूत्रपात करना।

प्रदेश में समूचा किन्नौर जिला, लाहौल-स्पिति जिला तथा चम्बा जिला के पांगी व भरमौर उप-मण्डल अनुसूचित क्षेत्र हैं तथा यहां पर अनुसूचित जन-जाति समुदाय की बहुलता है। इन क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियां जन-जातीय उप-योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 से चलाई जा रही हैं।

मुख्य योजनाओं के अन्तर्गत उप-योजनाएं:



जन-जातीय उप-योजना इस प्रदेश के लिए कोई नया विषय नहीं था। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सात सामुदायिक विकास तथा जन-जातीय खण्ड भी तसब्बर होते रहे तथा प्रदेश में किन्नौर व लाहौल स्पिति जिले सीमा क्षेत्र माने जाते रहे और इन क्षेत्रों के लिए सामान्य क्षेत्रों के अन्तर्गत योजना परिव्यय अलग से सुरक्षित रखे जाते थे। इन क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता भी 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध होती थी। इस प्रकार उप-योजना के बीज पहले ही प्रदेश में अंकुरित हो रहे थे और जन-जातीय उप-योजना प्रणाली के अपनाए जाने के फलस्वरूप इस प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। उप-योजना के अधीन अधिक क्षेत्र लाए गए और राज्य प्रयास को विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त राशि से बढ़ावा मिला।

### पांचवी पंचवर्षीय योजना:

मूल पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79) (16 करोड़ रुपये) राज्य योजना से 12.81 करोड़ रुपये तथा विशेष केन्द्रीय सहायता 3.19 करोड़ रुपये की अनुमोदित की गई थी परन्तु पांचवी योजना निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी तथा इस प्रकार 10.94 करोड़ रुपये राज्य योजना, 9.05 करोड़ रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता, 1.89 करोड़ रुपये, अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले वास्तविक व्यय 9.12 करोड़ रुपये, राज्य योजना 7.81 करोड़ रुपये तथा विशेष केन्द्रीय सहायता, 1.31 करोड़ रुपये रहा तथा व्यय 83 प्रतिशत रहा। यह मात्रा छठी पंचवर्षीय योजना की पूर्व संध्या पर 98 प्रतिशत हो गई।

### छठी पंचवर्षीय योजना:

छठी पंचवर्षीय योजना में संशोधित क्षेत्रीय विकास पद्धति जिसके अन्तर्गत जन-जातीय कोष्ठ चिन्हांकित किए जाने अपेक्षित थे को और अधिक अनुसूचित जन-जाति जनसंख्या उप-योजना प्रणाली के अधीन लाई गई। इस प्रदेश में वर्ष 1981-82 में ऐसे 2 कोष्ठ चिन्हांकित किए गए जिससे प्रदेश में उप-योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जन-जाति जनसंख्या 63 प्रतिशत हो गई।

जन-जातीय क्षेत्रों में 3.13 प्रतिशत आबादी केन्द्रित होने के मुकाबले पांचवी पंचवर्षीय योजनावधि में राज्य योजना से प्रवाह 5.56 प्रतिशत लक्षित किया गया था और वास्तविक उपलब्धि 1974-78 में 5.75 प्रतिशत अंकित की गई। इस पृष्ठभूमि में छठी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य योजना से प्रवाह की मात्रा 8.48 प्रतिशत लक्षित की गई और वास्तविक उपलब्धि 8.62 प्रतिशत रही। वर्ष 1984-85 में यह मात्रा 8.92 प्रतिशत थी यहां यह वर्णनीय है कि सामान्य योजना मदों के मुकाबले उप-योजना में वृद्धिदर अधिक रही

जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है:-

(लाख रुपये)

|          |             |          |               |                 |
|----------|-------------|----------|---------------|-----------------|
| योजनावधि | राज्य योजना | उप-योजना | स्तम्भ 3 की 2 | प्रतिशत बढ़ोतरी |
|----------|-------------|----------|---------------|-----------------|

|   | परिव्यय   | का प्रवाह | से प्रतिशतता | राज्य योजना | जन-जातीय उप-योजना |
|---|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------------|
| 1.                                      | 2.        | 3.        | 4.           | 5.          | 6.                |
| 1. पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-78)     | 15,743.00 | 904.81    | 5.75         | 155.26      | —                 |
| 2. छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) लक्षित | 56,000.00 | 4,747.40  | 8.48         | 255.71      | 424.68            |
| 3. यथोपरि वास्तविक                      | 62,833.56 | 5,415.31  | 8.62         | 12.20       | 14.07             |

### सातवीं पंच वर्षीय योजना:-

सातवीं पंच वर्षीय योजना से मुख्य रूप से यह अपेक्षा थी कि पिछले निवेश के लाभों को समेकित किया जाये तथा देश विकास के पथ पर इस प्रकार अग्रसर हो ताकि सामाजिक न्याय, समाज कल्याण और सामाजिक खपत में बढ़ोतरी हो सके ।

सातवीं योजनावधि के लिए राज्य योजना से प्रवाह 9 प्रतिशत लक्षित किया गया था और वास्तविक उपलब्धि 8.78 प्रतिशत रही :-

(लाख रूपये)

| योजनावधि                              | राज्य योजना परिव्यय | उप-योजना को प्रवाह | स्तम्भ 3 की 2 से प्रतिशतता | प्रतिशत बढ़ोतरी |                   |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
|                                       |                     |                    |                            | राज्य योजना     | जन-जातीय उप-योजना |
| 1.                                    | 2.                  | 3.                 | 4.                         | 5.              | 6.                |
| 7वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) लक्षित | 1,05000.00          | 9,450.00           | 9.00                       | 67.11           | 74.51             |
| वास्तविक                              | 1,15919.00          | 10,179.24          | 8.78                       | 84.49           | 87.97             |

### आठवीं पंचवर्षीय योजना:

जन-जातीय उप-योजना प्रणाली जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से अपनाई गई है अनुसूचित जन-जातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास में उपयोगी सिद्ध हुई है । इसके अन्तर्गत योजनाकारों एवं कार्यन्विकों का ध्यान अनुसूचित जन-जाति समाज एवं क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों की ओर आकृष्ट हुआ है जिस कारण इनके समन्वित विकास की पद्धति अपनाई गई । वर्तमान व्यवस्था को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में भी जारी रखा गया तथा इस दौरान उप-योजना के लिए यथार्थ धनराशि निर्धारित की गई ।

पूर्व में आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि वर्ष 1990-91 से प्रारम्भ होनी थी परन्तु इसे वर्ष 1992-93 से प्रारम्भ किया गया । वर्ष 1990-91 में राज्य योजना से जन-जातीय उप-योजना का प्रवाह 8.95 प्रतिशत अंकित किया गया तथा वर्ष 1991-92 के लिए यह 9 प्रतिशत किया गया ।

वर्ष 1990-91 से 1991-92 में राज्य योजना एवं जन-जातीय उप-योजना की तुलनात्मक स्थिति निम्न है :-

(लाख रू०)

| योजनावधि                                 | राज्य योजना<br>परिव्यय | जन-जातीय<br>उप-योजना का<br>प्रवाह | स्तम्भ 3 की 2<br>से प्रतिशतता | प्रतिशत बढ़ोतरी |                      |
|--|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
|  |                        |                                   |                               | राज्य योजना     | जन-जातीय<br>उप-योजना |
| 1  | 2                      | 3                                 | 4                             | 5               | 6                    |
| वर्षिक योजना<br>1990-91                  | 36,200.00              | 3,240.00                          | 8.95                          | 39.23           | 38.97                |
| वार्षिक योजना<br>1991-92                 | 40,650.00              | 3,658.50                          | 9.00                          | 12.29           | 12.92                |
| <b>आठवीं पंचवर्षीय योजना</b>             |                        |                                   |                               |                 |                      |
| 8वीं पंचवर्षीय योजना<br>(1992-97) लक्षित | 2,50,200.00            | 22,518.00                         | 9.00                          | 138.29          | 138.29               |
| वास्तविक                                 | 3,34,050.00            | 30,050.00                         | 9.00                          | 188.17          | 195.22               |

### नवीं पंचवर्षीय योजना:

नवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से आरम्भ हुई जो पांच वर्षों की अवधि वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक पूर्ण हुई। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जन जातीय उप योजना का प्रवाह 8.90 प्रतिशत रहा। नवीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत न्यूनतम सेवाओं में रोजगार सृजन में बढ़ोतरी पर बल दिया गया। इसमें पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें, प्राथमिक शिक्षा, बेघर गरीब लोगों को आवास, ग्रामीण सड़कें तथा लोक वितरण प्रणाली मुख्य बिन्दु रहे।

(लाख रूपये)

| योजनावधि                                   | राज्य योजना<br>परिव्यय | उप-योजना को<br>प्रवाह | स्तम्भ 3 की 2<br>से प्रतिशतता | प्रतिशत बढ़ोतरी |                      |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
|  |                        |                       |                               | राज्य योजना     | जन-जातीय<br>उप-योजना |
| 1  | 2                      | 3                     | 4                             | 5               | 6                    |
| 9वीं पंचवर्षीय योजना<br>(1997-2002) लक्षित | 7,15,000.00            | 53,140.00             | 7.43                          | 185.77          | 136.00               |
| वास्तविक                                   | 7,70,536.70            | 68,570.15             | 8.90                          | 130.67          | 128.00               |

### दसवीं पंचवर्षीय योजना:

दसवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से आरम्भ हुई जो पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2002-2003 से 2006-2007 तक पूर्ण हुई। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जन जातीय उप योजना का प्रवाह 8.96 प्रतिशत रहा। दसवीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के अन्तर्गत रोजगार सृजन में बढ़ोतरी पर बल दिया गया। इसमें पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें, प्राथमिक शिक्षा, बेघर गरीब लोगों को आवास, ग्रामीण सड़कें तथा लोक वितरण प्रणाली मुख्य बिन्दु रहे।

(लाख रूपये)

| योजनावधि                                 | राज्य योजना परिव्यय | उप-योजना को प्रवाह | स्तम्भ 3 की 2 से प्रतिशतता | प्रतिशत बढ़ोतरी |                   |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
|  |                     |                    |                            | राज्य योजना     | जन-जातीय उप-योजना |
| 1.                                       | 2.                  | 3.                 | 4.                         | 5.              | 6.                |
| 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) लक्षित | 10,75,000.00        | 85,635.00          | 7.97                       | 50.35           | 61.15             |
| वास्तविक                                 | 8,03,500.00         | 72,025.29          | 8.96                       | 4.28            | 5.04              |

### ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना:

ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से आरम्भ हुई जो पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जन जातीय उप योजना के अन्तर्गत आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के अन्तर्गत रोजगार सृजन में बढ़ोतरी पर बल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें, प्राथमिक शिक्षा, बेघर गरीब लोगों को आवास, ग्रामीण सड़कें तथा लोक वितरण प्रणाली आदि में सुधार मुख्य बिन्दु रहे।

(लाख रूपये)

| योजनावधि  | राज्य योजना परिव्यय | उप-योजना को प्रवाह | स्तम्भ 3 की 2 से प्रतिशतता | पिछली पंचवर्षीय योजना/ वार्षिक योजना के मुकाबले प्रतिशत बढ़ोतरी |                   |
|---|---------------------|--------------------|----------------------------|---|-------------------|
|   |                     |                    |                            | राज्य योजना   | जन-जातीय उप-योजना |
| 1.  | 2.                  | 3.                 | 4.                         | 5.  | 6.                |
| 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) लक्षित (अनुमानित) | 14,00,000.00        | 1,26,000.00        | 9.00                       | 35.92   | 47.13             |
| वास्तविक  | 13,50,000.00        | 1,21,500.00        | 9.00                       | 68.01   | 68.69             |

## बारवीं पंचवर्षीय योजना:

बारवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से आरम्भ हुई जो पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जन जातीय उप योजना के अन्तर्गत यातायात व्यवस्था, शिक्षा एवं संबद्ध गतिविधियां, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, सीमा क्षेत्र विकास, सिंचाई एवं बाड़ नियन्त्रण, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, महिला एवं शिशु विकास, आवास, उद्योग आदि मदों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(लाख रूपये)

| योजनावधि   | राज्य योजना परिव्यय | उप-योजना को प्रवाह | स्तम्भ 3 की 2 से प्रतिशतता | पिछली पंचवर्षीय योजना/ वार्षिक योजना के मुकाबले प्रतिशत बढ़ोतरी |                   |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------|---|-------------------|
|  |                     |                    |                            | राज्य योजना   | जन-जातीय उप-योजना |
| 1.   | 2.                  | 3.                 | 4.                         | 5.  | 6.                |
| 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) लक्षित(अनुमानित) | 22,80,000.00        | 2,05,200.00        | 9.00                       | 62.85   | 62.85             |
| वास्तविक   | 22,74,892.00        | 2,02,106.94        | 8.88                       | 68.51   | 66.34             |

वर्ष 2017-18 के दौरान क्षेत्रवार व्यय विवरण निम्न प्रकार से है:-

(लाख रू०)

| क्षेत्र                         | राज्य योजना     | विशेष केन्द्रीय सहायता | केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>2017-18 अनुमानित व्यय</b>    |                 |                        |                               |
| क) आर्थिक सेवाएं                | 26347.44        | 664.15                 | 14814.90                      |
| ख) सामाजिक सेवाएं               | 13377.87        | 678.33                 | 17195.44                      |
| ग) सामान्य सेवाएं               | 1810.57         | 0.00                   | 1.00                          |
| घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम | 278.00          | 0.00                   | 3500.00                       |
| <b>योग</b>                      | <b>41813.88</b> | <b>1342.48</b>         | <b>35511.34</b>               |

उच्चतम प्राथमिकता 'आर्थिक सेवा' क्षेत्र को दी गई है। उप-क्षेत्रों में 'कृषि एवं सम्बन्धित सेवाओं' को प्राथमिकता दी गई है।

वर्ष 2017-18 के भौतिक लक्ष्य एवं प्राप्तियों का ब्योरा इस प्रकार से है:-

**जन-जातीय उप-योजना भौतिक लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ**

| मद्द   | इकाई    | वर्ष<br>2017-2018<br>की वास्तविक<br>उपलब्धियाँ | आई0टी0<br>डी0पी0<br>किन्नौर | आई0टी0<br>डी0पी0<br>लाहौल | आई0टी0<br>डी0पी0<br>स्पिति | आई0टी0<br>डी0पी0<br>पांगी | आई0टी0<br>डी0पी0<br>भरमौर |
|--|---------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.   | 2.      | 3.   | 4.                          | 5.                        | 6.                         | 7.                        | 8.                        |
| <b>कृषि उत्पाद:</b>                                    |         |  |                             |                           |                            |                           |                           |
| <b>1. खाद्यान:</b>                                     |         |  |                             |                           |                            |                           |                           |
| उत्पाद   | एमटी.   | 3829.95  | 3.40                        | —                         | —                          | —                         | 3826.55                   |
| <b>2. आलू:</b>   |         |  |                             |                           |                            |                           |                           |
| उत्पाद   | एमटी    | 1179.00  | 9.00                        | —                         | —                          | —                         | 1170.00                   |
| <b>3. सब्जियां:</b>                                    |         |  |                             |                           |                            |                           |                           |
| उत्पाद   | एमटी    | 1187.47  | 26.47                       | —                         | —                          | —                         | 1161.00                   |
| <b>4. अधिक उपज देने वाली किस्मों के अधीन क्षेत्रफल</b> |         |  |                             |                           |                            |                           |                           |
| गेहूं  | हेक्ट0  | 300.00   | 0.00                        | —                         | —                          | —                         | 300.00                    |
| मक्की  | हेक्ट0  | 1185.05  | 0.05                        | —                         | —                          | —                         | 1185.00                   |
| <b>5. उर्वरक का वितरण:</b>                             |         |  |                             |                           |                            |                           |                           |
| एन.  | एमटी    | 140.00   | 70.00                       | —                         | —                          | —                         | 70.00                     |
| पी.  | एमटी    | 43.00  | 25.00                       | —                         | —                          | —                         | 18.00                     |
| के.  | एमटी    | 60.00  | 40.00                       | —                         | —                          | —                         | 20.00                     |
| <b>योग:-</b>   |         | <b>243.00</b>                                  | <b>135.00</b>               | <b>—</b>                  | <b>—</b>                   | <b>—</b>                  | <b>108.00</b>             |
| <b>6. कृषि औजारों की संख्या वितरण:</b>                 |         |  |                             |                           |                            |                           |                           |
| 7.भू-नमूनों का विश्लेषण                                | संख्या  | 640  | 294                         | —                         | —                          | —                         | 346                       |
| 8. ग्रीन हाऊस का निर्माण                               | संख्या  | 42   | 40                          | —                         | —                          | —                         | 02                        |
| <b>9. भू-संरक्षण:</b>                                  |         |  |                             |                           |                            |                           |                           |
| कृषि विभाग द्वारा                                      | हेक्टयर | 04.00  | 0.00                        | —                         | —                          | —                         | 04.00                     |
| <b>2. उद्यान (उत्पाद):</b>                             |         |  |                             |                           |                            |                           |                           |
| फलदार पौधों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र               | हेक्टयर | 93.00  | 44.00                       | 4.00                      | 7.00                       | 25.00                     | 13.00                     |
| फलदार पौधों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र (2016-17)          | हेक्टयर | 20192.00                                       | 13016.00                    | 1162.00                   | 592.00                     | 1016.00                   | 4406.00                   |

| 1.   | 2.            | 3.       | 4.      | 5.     | 6.     | 7.     | 8.      |
|--|---------------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|
| फल उत्पादन   | एमटी          | 65041    | 52869   | 217    | 121    | 653    | 11181   |
| पुष्प उत्पादन के अन्तर्गत कुल क्षेत्र              | हैक्टर        | 20.84    | —       | —      | —      | —      | —       |
| पौध संरक्षण के अधीन कुल क्षेत्र                    | हैक्टर        | 10532.36 | 8272.36 | 600.00 | 0.00   | 430.00 | 1230.00 |
| <b>3. हॉप्स विकास:</b>                             |               |          |         |        |        |        |         |
| हॉप्स उत्पाद                                       | एमटी          | —        | —       | —      | —      | —      | —       |
| हॉप्स के अधीन अतिरिक्त क्षेत्रफल                   | हैक्टर        | —        | —       | —      | —      | —      | —       |
| हॉप्स के अधीन कुल क्षेत्रफल                        | हैक्टर        | —        | —       | —      | —      | —      | —       |
| <b>4. मत्स्य पालन:</b>                             |               |          |         |        |        |        |         |
| ट्राउट ओवा उत्पादन                                 | सं० लाखों में | 1.58     | 1.06    | —      | —      | —      | 0.52    |
| मछली उत्पादकों को सहायतानुदान                      | सं०           | 17       | —       | —      | —      | —      | —       |
| टेबल साईज ट्राउट उत्पादन                           | एमटी          | 1.05     | 0.96    | —      | —      | —      | 0.09    |
| <b>5. वन:</b>                                      |               |          |         |        |        |        |         |
| 1. वन आवरण वर्धन के अन्तर्गत क्षेत्र(नया पौधारोपण) | हैक्टर        | 294.66   |         |        |        |        |         |
| 2. वन परिरक्षण. संरक्षण एवं रखरखाव(2015-16)        | हैक्टर        | 293.00   |         |        |        |        |         |
| <b>6. सहकारिता:</b>                                |               |          |         |        |        |        |         |
| अल्प एवं माध्यमिक अवधि के ऋण                       | लाख ₹०        | 143.52   | 141.22  | —      | —      | —      | 2.30    |
| उपभोक्ता वस्तु वितरण                               | लाख ₹०        | 2354.42  | 1055.95 | 525.31 | 121.16 | 338.90 | 313.10  |
| <b>क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम</b>       |               |          |         |        |        |        |         |
| कार्य दिवस सृजन                                    | सं० लाख में   | 10.60    | 3.44    | 0.57   | 0.40   | 3.82   | 2.37    |
| ख) प्रधानमंत्री आवास योजना/राजीव आवास योजना        | सं०           | 32       | 0       | 5      | 9      | 0      | 18      |
| <b>8. लघु सिंचाई:</b>                              | हैक्टर        | 135.00   | —       | —      | —      | —      | —       |
| <b>9. बाढ़ नियन्त्रण</b>                           | हैक्टर        | 17.21    | —       | —      | —      | —      | —       |

| 1.   | 2.     | 3.     | 4.   | 5.  | 6.  | 7.  | 8.   |
|--|--------|--------|------|-----|-----|-----|------|
| <b>10. सड़क एवं पुल:</b>                                 |        |        |      |     |     |     |      |
| मोटर योग्य सड़क  | कि.मी. | 57.852 | —    | —   | —   | —   | —    |
| जीप योग्य सड़क   | कि.मी. | 17.745 | —    | —   | —   | —   | —    |
| क्रास नालियां  | कि.मी. | 50.100 | —    | —   | —   | —   | —    |
| सड़कों का पक्का करना                                     | कि.मी. | 30.967 | —    | —   | —   | —   | —    |
| पुल निर्माण  | सं०    | 10     | —    | —   | —   | —   | —    |
| गांवों को सड़क से जोड़ा                                  | सं०    | 8      | —    | —   | —   | —   | —    |
| <b>11. शिक्षा:</b>                                       |        |        |      |     |     |     |      |
| <b>1. प्रारम्भिक शिक्षा:</b>                             |        |        |      |     |     |     |      |
| क) पहली से पांचवी श्रेणी में प्रवेश:                     |        |        |      |     |     |     |      |
| छात्र  | सं०    | 3775   | 1536 | 359 | 270 | 569 | 1041 |
| छात्राएं   | सं०    | 4028   | 1636 | 411 | 240 | 632 | 1105 |
| ख) छठी से आठवीं तक प्रवेश:                               |        |        |      |     |     |     |      |
| छात्र  | सं०    | 2639   | 976  | 252 | 102 | 448 | 861  |
| छात्राएं   | सं०    | 3119   | 1105 | 264 | 145 | 481 | 1124 |
| <b>2. उच्च शिक्षा</b>                                    |        |        |      |     |     |     |      |
| क) नौवीं से दसवीं तक प्रवेश:                             |        |        |      |     |     |     |      |
| छात्र  | सं०    | 1909   | 791  | 213 | 68  | 299 | 538  |
| छात्राएं   | सं०    | 2115   | 875  | 200 | 71  | 361 | 608  |
| ख) 10+1 से 10+2 तक प्रवेश                                |        |        |      |     |     |     |      |
| छात्र  | सं०    | 1673   | 632  | 161 | 59  | 277 | 544  |
| छात्राएं   | सं०    | 1813   | 755  | 165 | 74  | 293 | 526  |
| <b>11. जलापूर्ति</b>                                     |        |        |      |     |     |     |      |
| लाभान्वित परिवार   | संख्या | 41     | —    | —   | —   | —   | —    |
| <b>12. अनु.जाति/अनु.जन-जाति/अन्य पिछड़ी जाति कल्याण:</b> |        |        |      |     |     |     |      |
| गृह अनुदान   | संख्या | 205    | —    | —   | —   | —   | —    |



प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे चिन्हित परिवारों की कुल संख्या 282234 (2007-08 सर्वेक्षण) है जिसमें से अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों की संख्या 27225 है जोकि 9.64 प्रतिशत बनती है।

वर्ष 2006 में नया 20 सूत्रीय कार्यक्रम पुनर्गठित हुआ जो वर्ष 2007-08 से आरम्भ हुआ और इस कार्यक्रम के तहत सूत्र-10 (सी) अनुसूचित जन-जाति परिवारों को लाभान्वित करने से सम्बन्धित है। वर्ष 1997-98 से 2017-18 के दौरान गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने सम्बन्धी प्रयासों का व्यौरा निम्न प्रकार से है:-

### वर्षवार लक्ष्य एवं प्राप्ति

| कार्यक्रम   | अवधि      | लक्ष्य | प्राप्तियां |
|---|-----------|--------|-------------|
| <b>सूत्र-11 (ख) अनुसूचित जनजाति परिवार लाभान्वित</b>    |           |        |             |
|   | 1997-98   | 4,200  | 5,329       |
|   | 1998-99   | 4,250  | 4,815       |
|   | 1999-2000 | 4300   | 7475        |
|   | 2000-01   | 4350   | 6883        |
|   | 2001-02   | 4500   | 8459        |
|   | 2002-03   | 4600   | 4888        |
|   | 2003-04   | 4600   | 4743        |
|   | 2004-05   | 4600   | 8681        |
|   | 2005-06   | 4700   | 6058        |
|   | 2006-07   | 6800   | 11197       |
| <b>सूत्र-10 (सी) (अनुसूचित जनजाति परिवार लाभान्वित)</b> |           |        |             |
|   | 2007-08   | 7000   | 11808       |
|   | 2008-09   | 7000   | 13610       |
|   | 2009-10   | 7000   | 14255       |
|   | 2010-11   | 9297   | 11554       |
|   | 2011-12   | 8660   | 10079       |
|   | 2012-13   | 9547   | 11062       |
|   | 2013-14   | 10592  | 18498       |
|   | 2014-15   | 7392   | 12940       |
|   | 2015-16   | 7432   | 8692        |
|   | 2016-17   | 7616   | 7939        |
|   | 2017-18   | 7575   | 7466        |

जन-जातीय विकास विभाग द्वारा वर्ष के आरम्भ में ही सम्बन्धित विभागों से प्राप्त प्रस्तावित लक्ष्यों के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण करके सम्बन्धित विभागों को वर्ष के दौरान प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों का आबंटन किया जाता है। सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रगति की सूचना जनजातीय विकास विभाग, हि0प्र0 को त्रैमासिक आधार पर प्रेषित की जाती है और जनजातीय विकास विभाग समेकित सूचना राज्य योजना विभाग को भेजता है जिसे योजना विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजा जाता है।

जन-जातीय क्षेत्रों में प्रभावी एवं नियोजित विकास

हिमाचल प्रदेश में जन-जातीय क्षेत्र की कुल जन संख्या पूर्णतया ग्रामीण है लेकिन नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के अन्तर्गत रिकांगपिओ, केलांग, काजा, भरमौर, और किलाड़ को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है, जिससे इन्हें शहरी क्षेत्र का दर्जा भी प्राप्त हो गया है और साथ में वे ग्रामीण क्षेत्र भी बने रहेंगे। प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों को जन-जातीय उप-योजना के अन्तर्गत लाया गया है ताकि नियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश में जन-जातीय उप-योजना को अपनाए 42 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तथा कुछेक प्रयुक्त विभागों के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

**1. कृषि:**

प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 23,655 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से लगभग 39900 हैक्टेयर भूमि विभिन्न फसलों के अन्तर्गत लाई गई है। औसत जोताकार 1.16 हैक्टेयर है। इन क्षेत्रों की मुख्य फसलें गेहूं, मक्की, जौ, आलू, गोभी, राजमाह व मटर हैं। जिनमें से आलू, मटर, गोभी, केसर प्रमुख नकदी फसलें हैं। किसानों के आर्थिक विकास तथा प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न उन्नत किस्म के बीज व उपकरणों का उपयोग किया गया। उक्त कार्य के लिए वर्ष 2017-18 में जन जातीय उप-योजना के अन्तर्गत मु0 1690.81 लाख रुपये व्यय किए गए।

**2. बागवानी:**

जन-जातीय क्षेत्रों की जलवायु सेब, हॉप्स, केसर, काला जीरा व सूखे फलों के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। इन क्षेत्रों में लगभग 20192 हैक्टेयर भूमि पर विभिन्न फलों की खेती की जाती है। वर्ष 2017-18 के दौरान 65041 मी0 टन विभिन्न फलों का उत्पादन हुआ है। फलों से अन्य फसलों की तुलना में किसानों को प्रति हैक्टेयर आय बहुत अधिक है। हॉप्स की खेती के लिए प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्र बहुत मशहूर हैं। वर्ष 2017-18 में अनुसूचित क्षेत्रों के किसानों की आय बढ़ाने व प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए मु0 2449.90 लाख रुपये विभिन्न कार्यों पर व्यय किए गए हैं।

**3. पशु पालन:**

प्रदेश के किसानों की भान्ति जन-जातीय क्षेत्रों में भी कृषि के साथ-साथ पशु पालन किसानों के मुख्य व्यवसायों में से एक है। इन क्षेत्रों में वर्तमान में 52 पशु चिकित्सालय (8 उप मण्डलीय पशु चिकित्सालय, 43 पशु चिकित्सालय, 1 केन्द्रीय पशु औषधालय) 115 पशु औषधालय, 1 भेड़ प्रजनन केन्द्र, 5 भेड़ व ऊन विस्तार केन्द्र, 2 कुक्कट प्रसार केन्द्र, 1 घोड़ा प्रजनन केन्द्र तथा 14 पशु औषधालय मुख्यमन्त्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत स्थापित हैं जिनके द्वारा जन-जातीय क्षेत्रों में पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त विभिन्न बीमारियों के टीके लगाए गए तथा नकारा नर पशुओं का वाधियाकरण किया गया ताकि अच्छी नसल की भेड़, गाय व साण्ड उपलब्ध हों। वर्ष 2017-18 में इन कार्यों के लिए मु0 676.09 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

#### 4. वन:

जन-जातीय क्षेत्रों का अधिकतर भाग विशेषकर लाहौल-स्पिति, पांगी तथा किन्नौर का कुछ क्षेत्र मौनसून जोन से बाहर रह जाता है तथा इन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है । 80 प्रतिशत क्षेत्रफल या तो बारानी या पत्थरीली भूमि या फिर बर्फ से ढका रहता है जिसके फलस्वरूप यह क्षेत्र जंगल उगाने के योग्य नहीं है । राज्य सरकार का वन विभाग जन-जातीय समुदायों को सरकारी भूमि पर भी जंगल उगाने में प्रोत्साहित करता है तथा उगाये गए पौधों को ईंधन के रूप में प्रयोग करने में पूरा हक प्रदान करता है ताकि इन क्षेत्रों में भी हरियाली लाई जा सके । स्थानीय समुदायों की ईंधन इत्यादि की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वन विभाग का मुख्य कार्यक्रम शीघ्र बढ़ने वाली किस्मों का रोपण, आर्थिक महत्ता की किस्मों का रोपण, चरागाहों का सुधार तथा सामाजिक वानिकी है । वर्ष 2017-18 के दौरान मु0 1079.89 लाख रुपये व्यय किए गए हैं ।

#### 5. सहकारिता:

सहकारिता आन्दोलन जन-जातीय क्षेत्रों में लोगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति, कृषि उपज एवं वानिकी उपज के विपणन तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । इस आन्दोलन की मुख्य उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है:-

| क्रमांक संख्या | मद्द   | वर्ष 2017-18 की वास्तविक उपलब्धियां |
|----------------|--|-------------------------------------|
| 1.             | 2.   | 3.                                  |
| 1.             | कुल सहकारी सभाओं की संख्या                         | 275                                 |
| 2.             | इनमें से साख सहकारिताएं                            | 107                                 |
| 3.             | अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋणों का वितरण (राशि लाख रू0) | 143.52                              |
| 4.             | उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण (रू0 लाख में)            | 2354.42                             |

सहकारिता क्षेत्र के कार्यकलापों को अधिक से अधिक मात्रा में पनपने के उद्देश्य से विभाग सभी प्रकार की सहकारी सभाओं को अनुदान, राज्य पूंजी निवेश तथा ऋण के रूप में सहायता राशि देता चला आ रहा है । वर्ष 2017-18 में मु0 118.75 लाख रुपये राज्य योजना के अन्तर्गत व्यय किए गए हैं ।

#### 6. लघु सिंचाई:

प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में 12532 हैक्टेयर भूमि सिंचाई के अधीन है । वर्ष 2017-18 के दौरान 135.00 हैक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई के तहत लाने पर मु0 2037.66 लाख रुपये व्यय किए गए हैं ।

## 7. विद्युत:

जन-जातीय क्षेत्रों में सभी गावों को विद्युतकृत हैं लेकिन विद्युत संचारण एवं वितरण और वोल्टेज में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत इस कार्य पर व्यय किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत जिला किन्नौर के आक्पा नामक स्थान पर 66के0वी0 सब-स्टेशन की स्थापना की गई है तथा अक्पा से काजा(स्पिति) तक 66 के0वी0 टावर के ऊपर 22 के0वी0 लाईन निर्माणाधीन है। विद्युत क्षेत्र में विभिन्न सुधार कार्यों एवं नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने पर वित्तिय वर्ष 2017-18 के दौरान मु0 11485.30 लाख रुपये व्यय किये गये।

## 8. ग्राम एवं लघु उद्योग:

समूचा प्रदेश उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा राज्य है। प्रदेश में जन-जातीय क्षेत्रों का दूर-दराज क्षेत्रों में केन्द्रीत होना, पर्याप्त एवं सभी मौसमों में यातायात का अभाव तथा इन क्षेत्रों में जनसंख्या का बिखरापन उद्योग के लिए पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। उक्त परिस्थितियों के बावजूद भी जिला किन्नौर के रिकांगपिओ और लाहौल-स्पिति जिला के केलांग स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं। जिला किन्नौर तथा लाहौल-स्पिति में जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत है तथा पांगी, भरमौर क्षेत्र जिला उद्योग केन्द्र चम्बा के अधीन आते हैं। इन क्षेत्रों में 1 औद्योगिक क्षेत्र, 27 उद्योग इकाईयां, 2 औद्योगिक एस्टेट तथा 3 लघु औद्योगिक इकाईयां पंजीकृत है। वर्ष 2017-18 में अनुसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विकास हेतु मु0 416.99 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

## 9. सड़कों एवं पुल:

प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु सड़कों और पुलों का विशेष महत्व है। जन-जातीय क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा वर्ष के दौरान 57.852 कि0 मी0 मोटर योग्य, 17.745 कि0मी0 जीप योग्य, 50.100 कि0 मी0 क्रास नालियां, 30.967 कि0 मी0 मैटलिंग एवं टारिंग और 10 पुलों का निर्माण किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान इन कार्यों पर मु0 6441.93 लाख रुपये खर्च किए गए।

## 10. खाद्य एवं आपूर्ति:

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग प्रत्येक उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुएं समय पर उचित मात्रा में तथा उचित दर पर उपलब्ध करवाता है। सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री दर पर विभाग जन-जातीय क्षेत्रों में गंदम, चावल, चीनी, नमक, मिट्टी का तेल अनुदानित दरों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा रहा है। विभाग इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने हेतु अग्रिम मांग अनुसार आवश्यक वस्तुओं का भण्डारण करता है ताकि उपभोक्ताओं को सर्दियों में आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना न करना पड़े। आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी विभाग द्वारा मास अक्टूबर/ नवम्बर में उपभोक्ताओं को अग्रिम रूप से बर्फ पड़ने से पहले-पहले कर दिया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान जन जातीय क्षेत्रों में कार्यरत 17 थोक बिक्री केन्द्रों, 199 उचित मुल्य की दुकानें, 9 गैस एजेन्सियों व 5 पेट्रोल पम्पों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आवश्यक

वस्तुओं का वितरण किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

| वस्तु का नाम      | इकाई      | कुल    | किन्नौर | लाहौल  | स्पिति | पांगी  | भरमौर  |
|-------------------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| गन्दम/ गन्दम आटा  | किव.      | 94568  | 40383   | 12505  | 7380   | 14473  | 19827  |
| चावल              | किव.      | 79735  | 36051   | 8112   | 7257   | 9388   | 18927  |
| लेवी चीनी,        | किव.      | 14140  | 7228    | 1325   | 710    | 1957   | 2920   |
| दालें             | किव.      | 10215  | 5748    | 924    | 1026   | 721    | 1796   |
| नमक               | किव.      | 3124   | 294     | 542    | 419    | 854    | 1015   |
| खाद्य तेल         | लीटर      | 895330 | 368974  | 101933 | 68883  | 130493 | 225047 |
| रसोई गैस सिलेन्डर | संख्या    | 186316 | 111540  | 33212  | 22453  | 0      | 19111  |
| मिट्टी का तेल     | किलो लीटर | 422    | 0       | 0      | 170    | 127    | 125    |

### 11. स्वास्थ्य विभाग:

जन-जातीय क्षेत्र चिकित्सा सुविधा उपलब्धि में सुखद स्थिति में है। इन क्षेत्रों में 2 क्षेत्रीय अस्पताल, 3 नागरिक अस्पताल, 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 47 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तथा 105 उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं। चिकित्सा संस्थानों में 611 बिस्तरे उपलब्ध हैं। मनुष्यों के उपचार सम्बन्धी चिकित्सा संस्थान प्रति लाख जनसंख्या के पीछे जन-जातीय क्षेत्रों में 92 हैं जबकि राज्य में औसतन 39 हैं। वर्ष 2017-18 में स्वास्थ्य सम्बन्धि गतिविधियों पर मु0 3071.82 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

### 12. आयुर्वेद विभाग:

इन क्षेत्रों में 3 आयुर्वेदिक अस्पताल तथा 73 औषधालय कार्यरत हैं। इन अस्पतालों में लगभग 74 बिस्तरे उपलब्ध हैं। वर्ष 2017-18 में आयुर्वेद से सम्बन्धित गतिविधियों पर मु0 547.88 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

### 13. शिक्षा विभाग:

जन-जातीय क्षेत्रों में 573 प्राथमिक पाठशाला, 99 माध्यमिक पाठशाला, 44 उच्च पाठशाला, 80 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, 1 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 2 नवोदय विद्यालय, 2 केंद्रीय विद्यालय तथा 4 राजकीय महाविद्यालय हैं। शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों पर वर्ष 2017-18 के दौरान जन-जातीय उप योजना के अन्तर्गत मु0 6647.21 लाख रुपये व्यय किए गये।

### 14. तकनीकी शिक्षा:

तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत ईकाइयां जन-जातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं:-

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रिकॉगपिओ ।
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भरमौर ।
3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पांगी स्थित किलॉड ।
4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (लाहौल) ।
5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रॉगटोंग(काजा) ।
6. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रिकॉगपिओ ।

जन-जातीय क्षेत्रों के छात्र प्रदेश के दूसरे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश हेतु प्रदेश भर में 865 सीटें (स्थान) आरक्षित थीं व तकनीकी शिक्षा पर मु0 206.68 लाख रुपये व्यय किये गये ।

### **15. पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम :**

प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है। वर्ष 2017-18 में इस कार्य के लिए मु0 1109.75 लाख रू0 व्यय किए गए हैं। स्पष्ट है कि जन-जातीय क्षेत्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है और जन-जातीय क्षेत्रों और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के बीच विकासात्मक खाई दिन-प्रतिदिन कम हो रही है।

## अध्याय-6

### कानून एवं व्यवस्था स्थिति

अनुसूचित क्षेत्र शोर-शराबे से दूर बीहड़ पहाड़ों के पीछे स्थित है। इस क्षेत्र के लोग बहुत ही धर्मपरायण, शान्तिप्रिय और सहिष्णु हैं जोकि उनके शान्त वातावरण के अनुरूप है। किन्नौर और लाहौल-स्पिति जिला की सीमा अन्तराष्ट्रीय सीमा तिब्बत से लगती है और इन क्षेत्रों में विदेशियों के आने-जाने पर प्रतिबन्ध है। देशी पर्यटक इन क्षेत्रों में कम ही आते हैं क्योंकि आवागमन कठिन और दुविधाजनक है। अतः बाहरी प्रभाव नगण्य है।

फिर भी, अनुसूचित क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की निगरानी हेतु 11 पुलिस स्टेशन, 13 पुलिस चौकियां तथा 10 निरीक्षण चौकियां स्थापित की गई हैं। ऐसे प्रबन्ध से लोगों के जान-माल की रक्षा भी बखूबी हो रही है।

### अपराध स्थिति 2017-18

| मद्द  | अनुसूचित क्षेत्र | हिमाचल प्रदेश |
|---|------------------|---------------|
| 1.  | 2.               | 3.            |
| 1.राज्य के प्रति एवं लोक शान्ति के प्रति अपराध: |                  |               |
| क) सूचित  | 05               | 398           |
| ख) सिद्धदोषी                                    | 01               | 14            |
| 2. कत्ल:  |                  |               |
| क) सूचित  | 04               | 100           |
| ख) सिद्धदोषी                                    | 00               | 20            |
| 3. अन्य घोर अपराध:                              |                  |               |
| क) सूचित  | 30               | 2581          |
| ख) सिद्धदोषी                                    | 00               | 155           |

| 1.                      | 2. | 3.   |
|-------------------------|----|------|
| <b>4. डाका:</b>         |    |      |
| क) सूचित                | 00 | 00   |
| ख) सिद्धदोषी            | 00 | 00   |
| <b>5. पशु चोरी:</b>     |    |      |
| क) सूचित                | 00 | 13   |
| ख) सिद्धदोषी            | 00 | 01   |
| <b>6. जायदाद चोरी:</b>  |    |      |
| क) सूचित                | 23 | 1315 |
| ख) सिद्धदोषी            | 00 | 64   |
| <b>7. सामान्य चोरी:</b> |    |      |
| क) सूचित                | 04 | 652  |
| ख) सिद्धदोषी            | 00 | 34   |
| <b>8. मकान घुसपैठ:</b>  |    |      |
| क) सूचित                | 14 | 650  |
| ख) सिद्धदोषी            | 00 | 29   |

### अनुसूचित जन-जातियों के प्रति अत्याचार निवारण:

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, दिनांक 30 जनवरी, 1990 से लागू है तथा अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रदेश में 8 जिला तथा सेशन अदालतें विशेष अदालतें घोषित की गई हैं तथा इन अदालतों से सम्बद्ध पब्लिक प्रोसिक्यूटरर्ज को धारा 15 के अधीन विशेष प्रोसिक्यूटरर्ज घोषित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र शिमला, मण्डी तथा चम्बा की अदालतों के साथ संलग्नित किया गया है।

इस अधिनियम के अधीन राज्य स्तर पर तथा पुलिस मुख्यालय स्तर पर निरीक्षण कक्ष स्थापित किए गए हैं।



विश्वविद्यालयों एवं अन्य उपक्रमों के कार्यकलाप

**(क) चौ० सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय:**

सरकार की नीति के अनुरूप जन-जातीय क्षेत्रों के लिए अलग से धनराशि आरक्षित की जा रही है ताकि क्षेत्रीय और अन्तर-क्षेत्रीय असंतुलन कम किया जाए और इन पिछड़े क्षेत्रों की अंतःशक्ति का दोहन किया जा सके। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय भी इन क्षेत्रों की जलवायु के अनुरूप अलग प्रावधान कर रही है ताकि इन क्षेत्र वासियों को लाभान्वित किया जा सके। जन-जातीय क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पांच अनुसंधान केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं।

1. उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान एवम प्रसार केन्द्र, कुकुमसेरी (लाहौल घाटी)
2. पर्वतीय कृषि अनुसन्धान एवं प्रसार केन्द्र, सांगला किन्नौर
3. उप अनुसंधान केन्द्र लियो (किन्नौर)
4. उच्च पर्वतीय कृषि उप अनुसंधान केन्द्र लरी (स्पिति घाटी)
5. पर्वतीय कृषि अनुसन्धान एवं प्रसार केन्द्र सलूणी चम्बा (भरमौर क्षेत्र के लिए)

इन केन्द्रों पर किए जा रहे अनुसंधान के मुख्य पहलु इस प्रकार हैं:-

**1. उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान एवम प्रसार केन्द्र, कुकुमसेरी (लाहौल घाटी)**

हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, कुकुमसेरी (लाहौल) जनजातीय उच्च पहाड़ी शुष्क समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। यह केन्द्र लाहौल व पांगी क्षेत्र की कृषि समस्याओं के समाधान के लिए अनुसन्धान व केन्द्र पर विकसित कृषि उन्नत तकनीक को किसानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस केन्द्र पर मुख्यतः समशीतोष्ण सब्जियों, मटर, आलू, राजमाश, गेंहूं, काटु तथा चारे वाली फसलों पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुसन्धान किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अनुसंधान केन्द्र में फसलों की उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी तैयार किये जाते हैं। यह केन्द्र तिलहन, दलहन तथा बेमौसमी सब्जी उत्पादन व उच्च तकनीक से खेती के नए विकल्प घाटी के किसानों को उपलब्ध करवा रहा है। इस केन्द्र द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान की गई मुख्य गतिविधियों का व्यौरा इस प्रकार है:-

1. टी० एस० पी० के अर्न्तगत 7 प्रशिक्षण शिविरों तथा मौसम पूर्वानुमान व अनुमानित मौसम के आधार पर कृषि कार्य सम्बंधी 3 जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न गावों में किया गया जिससे 330 किसान-बागवान लाभान्वित हुए।
2. राजमाश (हिम-1, कंचन, व त्रिलोकी), फ्रासबीन (मृदुला), जई व रैडकलोवर का बीज पैदा करके किसानों को उपलब्ध करवाया गया।

**2. पर्वतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रसार केन्द्र सांगला (किन्नौर)**

इस केन्द्र के अधीन 2.5 हैक्टेयर, क्षेत्रफल है तथा पूर्ण क्षेत्र सिंचाई के अधीन है। इस केन्द्र में मुख्यतः काला जीरा, केसर, राजमाश, ओगला, फाफरा व चौलाई पर अनुसंधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि के बदलते परिवेश व जलवायु परिवर्तन के साथ अब यहां पर सेब व सब्जियों पर अनुसंधान

किया जा रहा है। इस केन्द्र की मुख्य गतिविधियों के अन्तर्गत प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन, नवीन उन्नत किस्मों के प्रदर्शनी प्लाट, किसान परामर्श एवं किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। किन्नौर जिला में केसर व काला जीरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कन्द उपलब्ध करवाये गये। किसान मेले का आयोजन करके किसानों को बैज्ञानिक खेती व जैविक खेती के विषय में नवीनतम जानकारी दी गई।

### **3. उप अनुसंधान केन्द्र लियो (किन्नौर)**

उप केन्द्राधीन 7.5 हैक्टेयर क्षेत्रफल है जिसमें से 2.5 हैक्टेयर क्षेत्र पर सप्रिंकलिंग सिंचाई उपलब्ध है। इस केन्द्र में अनुसंधान उपरान्त पाया गया कि यह क्षेत्र सेब, आलू, बादाम, खुमानी, पिस्ते व दलहनों(राजमाह एवं मटर) की पैदावार के लिए उपयुक्त है। किसानों को बैज्ञानिक खेती की तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण शिविर, भ्रमण एवं किसान परामर्श के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई।

### **4. उच्च पर्वतीय कृषि उप अनुसंधान केन्द्र लरी (स्पिति घाटी)**

इस केन्द्र के अधीन 18.7 हैक्टेयर क्षेत्र में से अनुसंधानार्थ 9.5 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधा युक्त है। इस अनुसंधान उप-केन्द्र में स्पिति घाटी के किसानों की सुविधा हेतु विभिन्न अनुसंधान गतिविधियां चलाई जा रही हैं जिसके अन्तर्गत राजमाश, गेहूँ, मटर उत्पादन सम्बन्धी जानकारी, बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए पाली हाउस व खेतों में खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च की खेती से सम्बन्धित जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई। इसके अतिरिक्त ड्रिप(टपक) सिंचाई योजनाओं की जानकारी भी किसानों तक पहुंचाई गई।

### **5. पर्वतीय कृषि अनुसन्धान एवं प्रसार केन्द्र, सलूणी जिला चम्बा )**

वर्ष 2017-18 के दौरान इस केन्द्र की मुख्य गतिविधियों के दौरान सेब की उन्नत प्रजाति के 1506 पौधे भरमौर व होली के 7 गांवों में 42 किसानों को दिये गये, 375 किसानों को उन्नत बीत वितरित किये गये, भरमौर के 37 किसानों, होली के 33 किसानों व पांगी के 35 किसानों को विश्वविद्यालय का भ्रमण करवाया गया तथा कृषि विज्ञान केन्द्र में प्रशिक्षण शिविर भी लगवाया गया। इसके इलावा सेब बागीचों के प्रबंधन, सेब व लैवेंडर की नर्सरी का उत्पादन, पॉलीहाउस में सब्जी उत्पादन तथा बदलते मौसम के अनुसार सेब की स्पर किस्मों व कीवी के प्रदर्शन प्लॉट लगवाये गये।

### **(ख) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन:**

इस विश्वविद्यालय द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनुसंधान क्षेत्र में अनुसंधानात्मक एवं विकासात्मक गतिविधियां क्षेत्रीय बागवानी अनुसन्धान, प्रशिक्षण केन्द्र एवं कृषि विज्ञान केन्द्र शारबो(किन्नौर), क्षेत्रीय बागवानी अनुसन्धान उप केन्द्र ताबो (लाहौल-स्पिति) तथा कृषि विज्ञान केन्द्र सरु (चम्बा) के माध्यम से चलाई जा रही हैं

इन अनुसंधान केन्द्रों में बागवानों तथा सब्जी उत्पादकों के लिए बागवानी तथा सब्जी उत्पादन, संरक्षण तथा फसल कटाई उपरान्त तकनीकी के बारे आवश्यक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके नवीनतम तकनीकी का ज्ञान दिया जाता है। प्रशिक्षण शिवरों में नुमाईश, उद्यान दिवस तथा अन्य व्यवहारिक प्रदर्शन किए जाते हैं।

## **(ग) हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम:**

हिमाचल प्रदेश का अनुसूचित क्षेत्र अपनी कला, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है जिनमें से कुछ एक का लुप्त होने का अन्देश है। इनमें जान फुंकने, इनको बढ़ावा देने और इनके विकास के लिए निगम द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका व्यौरा निम्न प्रकार से है:-

### **1. प्रशिक्षकता योजनाएं:**

इस योजना के अन्तर्गत निगम मनाली और ताबो में थांका पेंटिंग का प्रशिक्षण दे रहा है जिसकी अवधि 6 वर्ष है। यह कला प्रायः लुप्त होती जा रही है। इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त लड़के एवं लड़कियां इस व्यवसाय में भली भान्ति रोजी कमा रहे हैं।

### **2. प्रशिक्षण केन्द्र :**

लोगों में दक्षता बढ़ाने के लिए निगम कई शिल्पों में प्रशिक्षण दे रहा है। इनमें मुख्य रूप से वुड कारविंग, वुड टरनिंग, गलीचा बुनाई, धातु शिल्प, बढई, शाल बुनाई, चम्बा रूमाल इत्यादि शामिल हैं। शिल्प प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष से 6 वर्ष की है ताकि प्रशिक्षणार्थी सिद्धहस्त हो सके। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को 950 रुपये प्रतिमाह वज़ीफ़ा भी प्रदान किया जाता है तथा प्रशिक्षण उपरान्त अपना काम चालू करने के लिए सहायता भी दी जाती है।

### **3. उत्पाद ईकाइयां :**

निगम अपने उत्पादन केन्द्र लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु चला रहा है जिसमें हथकरघा वस्तुएँ, ऊनी कालीन, लकड़ी के बर्तन आदि तैयार किए जा रहे हैं।

### **4. प्रापन एवं उप-प्रापन योजनाएं :**

इस स्कीम के अधीन बुनकरों/ कारीगरों को उत्तम औजार, उपकरण, कच्चा सामान, रूपांकन आदि उनके अपने घरों में नकद या किशतों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं और जो सामान वे तैयार करते हैं उसे निगम क़य करता है। इससे ये कारीगर अपनी आजीविका कमाने में सक्षम हो रहे हैं।

### **5. विपणन :**

कारीगरों/बुनकरों को विपणन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निगम उन द्वारा तैयार किया गया माल कनसाईनमेंट आधार पर क़य करता है जिस के लिए निगम द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में ईम्पोरियम तथा विक्रय केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

### **6. संगठनात्मक ढांचा :**

जिला किन्नौर और स्पिति मण्डल में निगम की गतिविधियां किन्नौर में रिक्कांगपिओ के स्थान पर स्थित हस्तशिल्प अधिकारी द्वारा संचालित की जाती है। लाहौल मण्डल में ऐसा करने के लिए एक प्रबन्धक नियुक्त है। चम्बा जिला में भी एक हस्तशिल्प अधिकारी विद्यमान है। निगम की विभिन्न ईकाइयों को सुचारू रूप में चलाने के लिए अपेक्षित तकनीकी, पर्यवेक्षी एवं सहायक कर्मचारी नियुक्त हैं।

निगम द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न ईकाइयों का व्यौरा इस प्रकार है:-

1. हिमाचल इम्पोरियम, रिक्कांगपिओ (जिला किन्नौर)।

2. एप्रेन्टिशिप स्कीम थांका पेंटिंग, डंखर/काजा/ताबो ।
  3. हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, कुराकी/रूपी/बरी/कानम/बटूरी/बोनिंगसारिंग/युवारंगी/मेवर/लोअर चीनी/कश्मीर/पूह/रारंग/जांगी/रिबा/नेसांग/थांगी ।
  4. हस्त बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र— रोपसग ।
  5. गलिचा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र—दालंग/सुनम/लागंचा/सुमलिंग/चिचम/हंसा/किबबर ।
  6. काष्ठ नक्काशी प्रशिक्षण केन्द्र— थापासारिंग/
  7. घातु शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र – सुन्नम
- उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 341 बुनकरों/दस्तकारों को प्रशिक्षण दिया गया ।

### **(घ) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड:**

हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जन-जातीय क्षेत्रों के निवासियों के उत्थान हेतु व उन्हें सार्वजनिक सुविधान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार की सहायता के अन्तर्गत चलाई जा रही हैं:-

1. ऊन पिंजाई, तेल पिड़ाई व ऊनी वस्त्र फिनिशिंग
2. बिक्री केन्द्र
3. प्रधान मन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

#### **1. ऊन पिंजाई :**

बोर्ड द्वारा जन-जातीय क्षेत्रों में 13 ऊन पिंजाई केन्द्र स्थापित किए गए हैं जोकि रिकांग पिओ, पूह, भावानगर, कटगांव, सांगला, स्कीबा, चोलिंग, केलांग, उदयपुर, काजा, किलाड़, होली, लाहल में स्थापित हैं । उक्त ऊन पिंजाई केन्द्रों के माध्यम से जन-जातीय क्षेत्रों के निवासियों की ऊन पिंजाई न्यूनतम मूल्य पर की जाती है ।

#### **2. बिक्री केन्द्र :**

बोर्ड द्वारा जन-जातीय क्षेत्रों में 2 बिक्री केन्द्र रिकांगपिओ, रंगरीक/काजा के माध्यम से बोर्ड द्वारा खादी व ग्रामोद्योग उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाये जाते हैं । बोर्ड द्वारा वर्ष 2017-18 में जन-जातीय योजना के अन्तर्गत उपरोक्त केन्द्रों में की गई उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

| केन्द्र का नाम                      | इकाई     | लक्ष्य | उपलब्धियां | ऊन पिंजाई की गई | पिंजाई चार्जिज |
|-------------------------------------|----------|--------|------------|-----------------|----------------|
| 1. ऊन पिंजाई केन्द्र/कम्पोजिट यूनिट | लाभार्थी | 4850   | 4425       | 31558 कि० ग्रा० | 6.35 (लाख रु)  |
| 2. बिक्री केन्द्र                   | लाख रु०  | 110.60 | 45.71      | —               | —              |

### **3. प्रधान मन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम:**

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–2009 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से इस योजना का आरम्भ किया गया। हिमाचल प्रदेश में इस योजना का कार्यान्वयन राज्य स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में तथा जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत कुल परियोजना लागत (क) विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए केवल 25 लाख रुपये तक तथा (ख) सेवा इकाई स्थापित करने के लिए केवल 10 लाख रुपये तक की स्कीमों को स्वीकृत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों/पारम्परिक कारीगरों/कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति एवं जन-जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /महिलाओं/शारिरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्वक सैनिक/अल्पसंख्यक समुदाय को ग्रामीण क्षेत्रों में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु मार्जिन-मनी उपलब्ध करवायी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अनुसूचित जन-जाति के ऊपर वर्णित लोगों को अपना उद्योग स्थापित करने हेतु कुल परियोजना लागत का 95 प्रतिशत हिस्सा बतौर ऋण स्वीकृत किया जाता है शेष राशि (मार्जिन मनी) लाभार्थि को स्वयं खर्च करनी होती है जिसका 35 प्रतिशत भाग अनुदान के तौर पर बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017–18 के दौरान बोर्ड द्वारा 66 प्रकरण विभिन्न बैंकों को प्रायोजित किए गए जिसमें से बैंकों द्वारा 37 प्रकरणों को स्वीकृत किया गया और इन प्रकरणों में मु0 75.45 लाख रुपये मार्जिन मनी (अनुदान) राशि वितरित की गई।

### **(ड) हिमाचल पथ परिवहन निगम:**

हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा किन्नौर और स्पिति क्षेत्र को बस सेवा के प्रचालन हेतु रिकॉंगपिओ में तथा लाहौल और पांगी क्षेत्र के लिए केलोंग में डिपो स्थापित किये गये हैं। भरमौर क्षेत्र को बस सेवा का प्रचालन चम्बा डिपो से किया जा रहा है। तीनों डिपो के पास इस समय जनजातीय क्षेत्रों के लिए कुल 169 यात्री वाहन हैं जिसमें से रिकांगपिओ डिपो में 77 बसें किन्नौर क्षेत्र के लिए तथा 7 बसें काजा क्षेत्र के लिए, केलोंग डिपो में 53 बसें केलोंग क्षेत्र के लिए तथा 17 बसें व 1 जीप पांगी क्षेत्र के लिए और चम्बा डिपो में 14 बसें भरमौर क्षेत्र के लिए उपलब्ध है। इस समय जन-जातीय क्षेत्र में जन सुविधा के लिए परिवहन निगम द्वारा 8221 किलो मीटर प्रतिदिन का परिचालन हो रहा है। निगम द्वारा लाहौल क्षेत्र में बर्फ पड़ने से पूर्व अन्तिम क्षणों तक बस सेवा उपलब्ध करवाई जाती है तथा घाटी में भी पर्याप्त संख्या में यात्री वाहन उपलब्ध हैं ताकि मौसम खुलते ही घाटी के भीतर परिवहन सेवा चालू हो सके। वर्ष 2017–18 में निगम को जन-जातीय उप-योजना के अन्तर्गत 450.00 लाख रुपये का अंशदान दिया गया।

### **(च) हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति विकास निगम:**

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जन-जाति विकास निगम प्रदेश में 17 मई, 1984 से कार्य कर रहा है। वर्ष 1984–85 में निगम द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में 2 जिला कार्यालय किन्नौर और लाहौल-स्पिति के लिए स्थापित किए गए। स्पिति, पांगी तथा भरमौर उप-मण्डल अपने-अपने जिला मुख्यालय से दूर स्थित होने के कारण इन उप-मण्डलों के लिए अलग से उप-कार्यालय स्थापित किए गए हैं। इन कार्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जन जाति के निर्धन वर्गीय व्यक्तियों को आर्थिक उत्थान हेतु सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

## उद्देश्य:

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम का उद्देश्य प्रदेश के निर्धन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण, पूंजी अनुदान, सीमांत धन ऋण/सावधि जमा देकर बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा देकर स्वरोजगार स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त ब्याज रहित अध्ययन ऋण तथा ब्याज अनुदान जैसे सहायता कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण सुविधा से लाभान्वित कर उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाना है।

## निगम के कार्य कलाप:

निगम का प्रारम्भ से ही मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति परिवारों का आर्थिक विकास रहा है जिसके लिए निगम इन परिवारों को अपने नए कारोबार चलाने अथवा पुराने कारोबारों को सुदृढ़ करने के लिए बैंकों और सरकार के विकास विभागों के माध्यम से आर्थिक सहायता पहुंचाता है। जिसके लिए निगम ने इन विभागों से तालमेल स्थापित किया है। निगम द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

### (1) स्वरोजगार कार्यक्रम:

निगम गरीबी की रेखा से नीचे रह-रहे अनुसूचित जनजाति परिवारों को अपना कारोबार चलाने/सुदृढ़ करने के लिए मु0 50,000/- रु0 तक की परियोजनाओं के लिए बैंकों के माध्यम से सस्ती ब्याज दर यानि 4 प्रतिशत वार्षिक पर ऋण उपलब्ध करवाता है। निगम कुल परियोजना का 25 प्रतिशत भाग सीमांत धन ऋण/डिपॉजिट के रूप में बैंकों को देता है। इसके अतिरिक्त कुल लागत का 50 प्रतिशत मु0 10,000/- रु0 तक की राशि निगम द्वारा पूंजी अनुदान के रूप में भी दी जाती है तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से दिलवाई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 143 अनुसूचित जन-जाति परिवारों को कुल 71.10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई। इस राशि में से निगम द्वारा 17.72 लाख रुपये की राशि मार्जिन मनी डिपॉजिट/सीमांत धन ऋण व 10.05 लाख रुपये की राशि पूंजी अनुदान के रूप में लगाई गई तथा शेष राशि बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई।

### (2) हिमस्वावलम्बन योजना (एन0एस0टी0एफ0डी0सी0 स्कीम):

वर्ष 1992-93 से निगम बड़ी तथा मंझोली परियोजनाओं के लिए मात्र 6 प्रतिशत या 8 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज दर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को राष्ट्रीय निगम के सहयोग से ऋण उपलब्ध करवाता रहा है। इस योजना में छोटी गाड़ियां, टैक्सी, ट्रक, जीप, डेयरी फार्मिंग व होटल/ढाबा आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के तहत केवल उन्ही परिवारों को सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 98,000/- रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1,20,000/- रुपये तक हो।

### (3) आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना:

निगम गरीबी रेखा से नीचे रह रही अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 50,000/-रुपये तक की ऋण राशि 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाता है जिसमें निगम 4000/- रुपये तक की राशि सीमांत धन ऋण व अधिकतम 10,000/-रुपये की राशि पूंजी अनुदान के रूप में तथा शेष राशि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत 28 अनुसूचित जन-जाति महिलाओं को मु0 1.40 लाख रुपये की राशि जिसमें

निगम द्वारा मु0 0.81 लाख रुपये सीमांत धन ऋण व मु0 0.81 लाख रुपये की राशि पूंजी अनुदान के रूप में स्वयं लगाई गई तथा शेष राशि मु0 8.64 लाख रुपये सावधि ऋण के रूप में राष्ट्रीय निगम के सौजन्य से उपलब्ध करवाई गई।

#### **(4) हस्त शिल्प विकास योजना:**

इस परियोजना के अधीन पारम्परिक व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण देने की सुविधा उपलब्ध है। इस ऋण सुविधा को परम्परागत व्यवसायों में लगे कारीगर अपनी एक संस्था बनाकर उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। निगम हस्त शिल्प में लगे कारीगरों को मु0 5,000/— रुपये प्रति कारीगर की दर से बिना ब्याज की दर से संस्था के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाता है। संस्था अपने कारीगर सदस्यों से अधिकतम 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिये गये ऋण पर ब्याज ले सकती है जो संस्था के प्रशासनिक भार को पूरा करने के लिए रखा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2017-18 में 02 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 0.10 लाख रुपये की ऋण राशि उपलब्ध करवाई गई।

#### **(5) उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त अध्ययन ऋण:**

निगम ने यह स्कीम वर्ष 1991-92 से प्रारम्भ की है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में मु0 1.00 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को जो उच्च तकनीकी कोर्सों में अध्ययनरत हैं, के लिए निगम द्वारा ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा मु0 75,000/—रुपये है। यह सुविधा एम0बी0बी0एस0, इंजीनियरिंग, बैटनरी, आयुर्वेदिक डॉक्टर, नर्सिंग तथा जे0बी0टी0 आदि कोर्सों के लिए प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 1 अनुसूचित जनजाति के छात्र को 4.50 लाख रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के सौजन्य से अनुसूचित जनजाति के युवाओं/युवतियों को जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय सीमा शहरी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 0.98 लाख रुपये से कम हो शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 05 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मु0 20.88 लाख रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई।

#### **(6) प्रशिक्षण कार्यक्रम:**

निगम ने अनुसूचित जनजाति के बेरोज़गार युवा/युवतियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ आधुनिक व्यवसायों जैसे कम्प्यूटर, ड्राईविंग, इलैक्ट्रॉनिक्स, सिलाई-कटाई, पलम्बर आदि में प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। प्रशिक्षण लेने वाले को प्रशिक्षण के दौरान 500/— रुपये से 750/— रुपये प्रति माह बजीफा व प्रशिक्षकों को मानदेय दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 48 अनुसूचित जनजाति के युवाओं को प्रशिक्षणाधीन लाया गया।

विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत भारत सरकार, जनजातीय कार्य मन्त्रालय से प्राप्त राशि तथा व्यय का व्यौरा।

| वर्ष    | विशेष केन्द्रीय सहायता (राशि लाख रुपये में) |   |
|---------|---|---|
|         | प्राप्त राशि                                | विशेष केन्द्रीय सहायता की स्कीमों पर व्यय                 |
| 2015-16 | 475.00                                      | 1462.40*  |
| 2016-17 | 1959.39                                     | 2411.11*<br>*अतिरिक्त राशि राज्य योजना में से व्यय की गई। |
| 2017-18 | 2422.79                                     | 2357.05   |

विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत प्राप्त राशि की वर्ष वार/विभाग वार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां:

| विभाग                                 | वर्ष 2015-16          |                                 | वर्ष 2016-17          |   | वर्ष 2017-18          |                                 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------------|
|                                       | वित्तीय व्यय (लाख ₹0) | भौतिक उपलब्धियां (संख्या)       | वित्तीय व्यय (लाख ₹0) | भौतिक उपलब्धियां (संख्या)                       | वित्तीय व्यय (लाख ₹0) | भौतिक उपलब्धियां (संख्या)       |
| कृषि व भू संरक्षण                     | 222.60                | 41171                           | 509.87                | 46059   | 592.45                | 9750                            |
| उद्यान                                | 181.64                | 17383                           | 251.22                | 14710   | 148.37                | 5680                            |
| पशु पालन                              | 215.70                | 176546 पशु उपचारित              | 267.82                | 311638 पशु उपचारित                              | 252.11                | 8417 पशु उपचारित                |
| मत्स्य                                | 4.00                  | 23 लाभार्थी                     | 5.60                  | 43 लाभार्थी                                     | 13.50                 | 12 लाभार्थी                     |
| शिक्षा                                |                       |                                 | 218.41                | 5 विद्यालय भवन निर्माणाधीन                      | 621.59                | 6 विद्यालय भवन निर्माणाधीन      |
| उद्योग/ तकनीकी शिक्षा                 | 169.15                | 540 प्रशिक्षु                   | 181.69                | 607 प्रशिक्षु                                   | 361.33                | 10754 प्रशिक्षु                 |
| युवा सेवार्य एवं खेल                  |                       |                                 | 43.00                 | 2 कार्य निर्माणाधीन                             | 100.00                | 1 कार्य निर्माणाधीन             |
| स्वास्थ्य(एलोपैथी)                    |                       |                                 | 256.00                | 7 स्वास्थ्य संस्थान निर्माणाधीन                 | 225.70                | 1 स्वास्थ्य संस्थान निर्माणाधीन |
| अनु० जाति एवं अनु० जनजाति० विकास निगम | 35.00                 | 301 लाभार्थी                    | 35.00                 | 284 लाभार्थी                                    | —                     | —                               |
| सामुदायिक विकास                       | 20.00                 | 3 सामुदायिक कार्य स्वीकृत       | 47.30                 | 18 सामुदायिक कार्य स्वीकृत                      | —                     | —                               |
| वन                                    | 5.00                  | 14.406 कि०मी० सड़क का निर्माण   | 10.00                 | 3 सड़क कार्य निर्माणाधीन                        | —                     | —                               |
| ग्रामीण सड़कें                        | 400.20                | 47 सड़कें तथा 4 पुल निर्माणाधीन | 430.20                | 86 सड़के व 8 पुल निर्माणाधीन                    | —                     | —                               |
| लोक निर्माण (गैर अवासीय भवन)          | 107.61                | 4 भवन निर्माणाधीन               | 50.00                 | 2 भवन निर्माण कार्य पूर्ण तथा 2 भवन निर्माणाधीन | —                     | —                               |
| पेय जल योजनाएं                        | 83.30                 | 19 योजनायें निर्माणाधीन         | 90.00                 | 29 योजनायें निर्माणाधीन                         | —                     | —                               |
| लघु सिंचाई                            | 15.00                 | 2 योजनायें निर्माणाधीन          | 15.00                 | 5 योजनायें निर्माणाधीन                          | —                     | —                               |